खण्ड–10, अंक–1
गुरुवार, 27 अग्रहायण, शक संवत् 1925
(18 दिसम्बर, 2003 ई0)

उत्तरांचल विधान सभा

की

460

कार्यवाही

–: 0 :–

(अधिकृत विवरण)

(प्रथम विधान सभा)
(तृतीय सत्र, 2003)

(खण्ड 10 में 8 अंक हैं)

उत्तरांचल विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
उप निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, रुड़की, उत्तरांचल (भारत)
2004

विषय-सूची

460

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थिति	क
भू-अध्यादेश के संबंध में नियम 311 के अन्तर्गत विषय को उठाने का प्रयास	1
माननीय अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अभिज्ञापित ...	2-3
नियम 311 की सूचना को पुनः उठाने का प्रयास ...	3-5
प्रश्नोत्तर	6-65
उत्तरांचल सरकार का 31-3-2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) का शुद्धि-पत्र (सदन के पटल पर रखा गया) ...	66
उत्तरांचल सरकार के वर्ष 2001-2002 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (सदन के पटल पर रखा गया) ...	66
उत्तरांचल सरकार का वित्तीय वर्ष 2000-2001 (9 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक) विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (सदन के पटल पर रखा गया)	66
उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2000-2001 (1 अप्रैल, 2000 से 8 नवम्बर, 2000 तक) के विनियोग लेखे (सदन के पटल पर रखा गया)	66
उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का प्रथम सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 2002 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	67
उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	67
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया) ...	67
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	67
उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	67
उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	68
उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)..	68
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय, अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	68

विषय	पृष्ठ संख्या
पेट्रोलियम एवम् उर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)...	68
इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	69
हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 (अधिनियमित होने की घोषणा)	69
जनपद टिहरी गढ़वाल के बाँध प्रभावित क्षेत्र से विकास खण्ड प्रतापनगर के आंशिक डूबक्षेत्र के ग्रामों को जोड़ते हुये मुंगराली से कंसाली तक 10 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कराने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद टिहरी गढ़वाल की ग्राम पंचायत कोटगा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित) ...	70
जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में मोटणा में एलोपैथिक औषधालय खुलवाये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	70
जनपद टिहरी गढ़वाल के बाँध झील के कारण पट्टी रैका के अति संवेदनशील ग्रामों का भू–वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	71
जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत देवलथल तहसील के सृजन किये जाने के संबंध में याचिका (उपस्थापित)	71
पचानवेवां संविधान संशोधन विधेयक, 2003 (सदन के पटल पर रखा गया)	71
कार्यमंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	71–73
उत्तरांचल उर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	73
उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	73–74
उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)...	74
उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	74
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	75
उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित) ...	75
उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	76

विषय	पृष्ठ संख्या
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	76
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	77
उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 (पुरःस्थापित)	77
कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें	78
वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान (प्रस्तुतिकरण)	78
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें	78

उपस्थिति

1. श्री अजय भट्ट
2. " अनिल नौटियाल
3. "डा0" अनुसूया प्रसाद मैखुरी
4. श्रीमती अमृता रावत
5. श्री अरविन्द पाण्डे
6. श्रीमती आशा देवी
7. श्रीमती इन्दिरा हृदयेश
8. श्री उम्मेद सिंह मांजिला
9. " काशी सिंह ऐरी
10. " किशोर उपाध्याय
11. " कैलाश शर्मा
12. " कौल दास
13. " गगन सिंह रजवार
14. " गणेश प्रसाद गोदियाल
15. " गोपाल सिंह राणा
16. " गोविन्द लाल
17. " गोविन्द सिंह कुंजवाल
18. " चन्द्रशेखर
19. " जोत सिंह गुनसोला
20. " तसलीम अहमद
21. " तिलक राज बेहड़
22. " तेजपाल सिंह रावत
23. " दिनेश अग्रवाल
24. " नरेन्द्र सिंह भण्डारी
25. " नव प्रभात
26. " नारायण दत्त तिवारी
27. " नारायण पाल
28. " नारायण राम आर्य
29. " नारायण सिंह जंतवाल
30. काजी निजामुद्दीन
31. श्री प्रकाश पंत
32. कुंवर प्रणव सिंह "चैम्पियन"
33. डा0 प्रताप बिष्ट
34. श्री प्रदीप टम्टा
35. " प्रीतम सिंह
36. " प्रीतम सिंह पंवार
37. " प्रेमानन्द महाजन
38. " फूल सिंह बिष्ट
39. " बलवीर सिंह नेगी
40. " विजयपाल सिंह सजवाण
41. " बिशन सिंह चुफाल
42. " भगत सिंह कोश्यारी
43. " मदन कौशिक
44. " मंत्री प्रसाद नैथानी
45. " महेन्द्र भट्ट
46. " मातबर सिंह कण्डारी
47. " माल चन्द्र
48. " रणजीत सिंह
49. " रस्सैल वैलेन्टाइन गार्डनर
50. " राम प्रसाद टम्टा
51. श्रीमती विजय बड़थ्वाल
52. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी
53. " शूरवीर सिंह सजवाण
54. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल
55. श्री शहजाद
56. " साधू राम
57. " सुबोध उनियाल
58. " सुन्दर लाल मन्द्रवाल
59. " सुरेन्द्र सिंह नेगी
60. " हरबंस कपूर
61. " हरभजन सिंह चीमा
62. " हरिदास
63. " हरीश चन्द्र दुर्गापाल
64. " हीरा सिंह बिष्ट
65. " हेमेश खर्कवाल
66. " त्रिवेन्द्र सिंह रावत

गुरुवार, दिनाँक 18 दिसम्बर, 2003 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, देहरादून में दिन के 11.00 बजे पूर्वाह्न अध्यक्ष श्री यशपाल आर्य की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

राष्ट्रीय–गीत

वन्दे मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

सुजलाम् ।

सुफलाम ।

मलयज शीतलाम् ।

शस्य श्यामलाम् ।

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

शुभ्र–ज्योत्सना–पुलकित–यामिनीम्

फुल्ल–कुसुमित–द्रुमदल–शोभिनीम्

सुहासिनीम्

सुमधुर भाषिणीम्

सुखदाम्

वरदाम्

मातरम् । वन्दे मातरम् ।।

भू–अध्यादेश के सम्बन्ध में नियम 311 के अन्तर्गत विषय को उठाने का प्रयास

श्री मदन कौशिक–

मान्यवर, भू–अध्यादेश को लेकर पूरे प्रदेश में बहुत आक्रोश है, जनता इस अध्यादेश से बहुत चिन्तित है।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी व उत्तराखण्ड कान्ति दल के सदस्य अपने स्थान पर खड़े होकर अपनी बात जोर–जोर से कहने लगे जिस कारण सदन में घोर व्यवधान)

(शोर के मध्य)

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि भू–अध्यादेश को और कड़ाई–से लागू किया जाए। मान्यवर, भू–माफियाओं को उत्तराखण्ड की भूमि से बाहर खदेड़ा जाय।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गई)

माननीय अध्यक्ष द्वारा नेता प्रतिपक्ष को अभिज्ञापित किया जाना

श्री अध्यक्ष–

कृपया सभी माननीय सदस्य अपना स्थान ग्रहण करें। मैं माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी को नेता प्रतिपक्ष के रूप में अभिज्ञापित करता हूँ।

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्यों के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय नेता सदन कुछ कहना चाहते हैं।

मुख्यमंत्री (श्री नारायण दत्त तिवारी)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से अपना यह कर्तव्य समझता हूँ कि मैं अपनी ओर से अपने सम्मानित दल की ओर से यदि मैं सभी सदस्यों की भावनाओं का प्रतिबिम्बित कर रहा हूँ तो इस दृष्टि–कोण से नये विरोधी दल के नेता माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी जी, जो विधायिका और संसदीय जीवन से भली–भाँति परिचित हैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूँ। उन्होंने नेता विरोधी दल के पद को स्वीकार किया है, और वे चुने गये।

(मेजों की थपथपाहट)

इस अवसर पर मैं सम्मानित श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को जिन्होंने यहाँ पर लगातार 18–19 महीने नेता प्रतिपक्ष के पद को भली–भाँति निभाया है और इस बात का भरसक प्रयास किया है कि पार्लियामेंट्री पद्धति, प्रक्रिया तथा नियमावली के अनुसार यह सदन चले। उनका भी मैं हृदय से अभिनन्दन करता हूँ। उन्होंने इस दायित्व को बड़ी गम्भीरता से निभाया। विधान सभा बनते ही उभरते हुए इतिहास में उन्होंने जो अपना रोल अदा किया उसके लिए इतिहास में उनका एक महत्वपूर्ण स्थान रहेगा। इसके पहले भी उन्होंने पूर्व मुख्यमंत्री के रूप में उन्होंने जो कार्य किया उसका भी एक इतिहास है, जिसका मैं पहले भी उल्लेख कर चुका हूँ। मुझे विश्वास है कि नये विरोधी दल के नेता श्री कण्डारी जी उसी परम्परा को और सुदृढ़ करेंगे। मैं आपसे आज्ञा चाहता हूँ कि आप हमारी भावनाओं को लिपिबद्ध कराकर उन तक पहुँचा दें।

श्री हरिदास–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय कोश्यारी जी, मैं अपनी और अपने दल की ओर से माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी को नेता प्रतिपक्ष बनने पर बधाई देता हूँ। माननीय कण्डारी जी उत्तर प्रदेश विधान सभा के सदस्य भी रहे हैं और उत्तरांचल विधान सभा में 20 महीने से हमारा साथ दे रहे हैं। हम आशा करते हैं कि इसी तरह से इनका सहयोग हमें मिलता रहे।

श्री काशी सिंह ऐरी–

माननीय अध्यक्ष जी, अभी आपने नेता प्रतिपक्ष के रूप में माननीय मातबर सिंह कण्डारी को अभिज्ञापित किया है, इसके लिए मैं आपको तथा माननीय कण्डारी जी को

धन्यवाद देता हूँ। माननीय नेता सदन ने माननीय मातबर सिंह कण्डारी तथा माननीय भगत सिंह कोश्यारी के प्रति जो भावनाएं व्यक्त की हैं, मैं अपने को इन भावनाओं से सम्बद्ध करता हूँ। मैं आशा करता हूँ जिस तरह का सहयोग माननीय कोश्यारी जी ने समय-समय पर हमें दिया है, उसी तरह का सहयोग माननीय मातबर सिंह कण्डारी जी का हमें मिलता रहेगा। मान्यवर, आशा करता हूँ कण्डारी जी सदन को उच्च मानकों की ओर अग्रसर करेंगे और हम सबकी भावनाओं का ख्याल रखते हुए भावनाओं को संवेद रूप में नेता प्रतिपक्ष की भूमिका निभायेंगे। मान्यवर, एक बार पुनः मैं माननीय कण्डारी जी को बधाई देता हूँ।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन श्रद्धेय तिवारी जी, माननीय नेता विधान मण्डल-बहुजन समाजवादी पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल ने मुझे बधाई दी, इसके लिए मैं आपका आभार प्रकट करता हूँ। मान्यवर, मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि रचनात्मक कार्यों के लिए हम सरकार को पूरा सहयोग देंगे। मान्यवर, सरकार की जो नीतियां उत्तरांचल की जनता के हित में होंगी उनका समर्थन करेंगे तथा एक टीम के रूप में कार्य करेंगे, ताकि उत्तरांचल का चहुंमुखी विकास हो सके। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि यह सदन उत्तरांचल की जनता के हित में बनाया गया है, इस सदन के सदस्य माननीय विधायक गण होते हैं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ माननीय विधायकगणों का सम्मान होना चाहिए, माननीय विधायकगणों के पत्रों पर काम होना चाहिए, ताकि माननीय विधायकगण अपने-अपने क्षेत्रों में कार्य कर सकें। यदि सरकार जनहित में कार्य नहीं करेगी तो हम इसका विरोध करेंगे, यह हमारा कर्तव्य बनता है, जनविरोधी नीतियों को रोकना। मान्यवर, रचनात्मक कार्यों के लिए हमारा सरकार को पूरा-पूरा सहयोग है। अन्त में, मैं माननीय नेता सदन, तिवारी जी, श्री काशी सिंह ऐरी जी तथा श्री हरिदास जी एवं सभी माननीय सदस्यों का आभार प्रकट करता हूँ।

नियम 311 की सूचना को पुनः उठाने का प्रयास

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को छोड़कर सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारे लगाने लगे– "भू-अध्यादेश वापस लो, काला कानून वापस लो, फर्जी कानून वापस लो"। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने-अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे– "भू-अध्यादेश लागू करो, भू-अध्यादेश कड़ाई से लागू करो"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

आज नियम 311 के अन्तर्गत श्री हरिदास, काजी निजामुद्दीन, श्री प्रेमानन्द महाजन, मौ0 शहजाद, श्री तसलीम अहमद, चौ0 यशवीर सिंह, श्री नारायण पाल तथा श्री मदन कौशिक, श्री प्रकाश पन्त, श्री अजय भट्ट, श्री चन्द्रशेखर, श्री अरविन्द पाण्डे, श्री हरबंस कपूर, श्री सुरेश चन्द जैन तथा श्री हरभजन सिंह चीमा की भू-अध्यादेश के सम्बन्ध में नियमों का निलम्बन कर चर्चा कराने की मांग के सम्बन्ध में सूचना प्राप्त हुई है।

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को आज सदन के पटल पर रखा जा रहा है और यह संवैधानिक अनिवार्यता भी है।

इस सम्बन्ध में मा0 सदस्यों द्वारा अननुमोदन का संकल्प लाया जा सकता है और उस पर चर्चा की जा सकती है।

अतः मैं इसे नियम 311 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

श्री काशी सिंह ऐरी, श्री नारायण सिंह जन्तवाल तथा श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी ने प्रदेश के मंत्रियों पर भ्रष्टाचार में लिप्त रहने के गम्भीर आरोपों के सम्बन्ध में सूचना दी है। भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम पहले से ही विद्यमान है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में लोकायुक्त की भी नियुक्ति हो चुकी है जहाँ इस सम्बन्ध में शिकायत की जा सकती है।

अतः मैं इस सम्बन्ध में मा0 सदस्य की इस सूचना को भी नियम 311 में उठाने की अनुमति नहीं दे रहा हूँ।

आज नियम 311 के अन्तंर्गत श्री प्रीतम सिंह पंवार ने उत्तरकाशी में वरूणावत पर्वत में भू–स्खलन के सम्बन्ध में सूचना दी है। विषय गम्भीर है। इसकी सूचना किसी अन्य नियम में मा0 सदस्य दे दें। उस पर चर्चा करा ली जाएगी।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी मेरा आपसे अनुरोध है कि आप माननीय सदस्यों को आसन ग्रहण करने को कहें, जिससे कि सदन सुचारू रूप से चल सके।

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय श्री मातबर सिंह कण्डारी, एवं श्री भगत सिंह कोश्यारी जी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर नारे लगाने लगे– "काला कानून वापस लो–वापस लो, भू–अध्यादेश वापस लो–वापस लो, भू–माफिया की परिभाषा दो"। तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे– "भू–अध्यादेश कड़ाई से लागू करो"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

माननीय कण्डारी जी, आप अपने दल के माननीय सदस्यों से आग्रह करें कि वे अपना आसन ग्रहण करें।

नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

मान्यवर, आप नियम 311 के अन्तर्गत इन्हें सुन लें, मैं सभी माननीय सदस्यों को वापस आने के लिए अनुरोध कर लूँगा।

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 11.45 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

(सदन की कार्यवाही 11.45 मिनट पर श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई)

(भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थानों पर खडे होकर नारेबाजी करने लगे (घोर व्यवधान) तथा भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारेबाजी करने लगे। (घोर व्यवधान के मध्य) नारे– "भू–अध्यादेश वापस लो, कांग्रेसी कानून वापस लो, काला कानून वापस लो, प्रदेश को बांटने वाला कानून वापस लो, भाई–भाई में विचारों को बांटने वाला कानून वापस लो, क्षेत्रवाद वाला भू–अध्यादेश वापस लो, प्रदेश को दो हिस्सों में बांटने वाला कानून वापस लो" आदि। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे– "भू–अध्यादेश को सख्ती से लागू करो–लागू करो, भू–माफियाओं को उत्तराखण्ड की धरती से भगाया जाय आदि"।) (घोर व्यवधान)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आप लोग शान्त हो जाएं और अपने–अपने स्थान पर बैठ जायें।

(घोर व्यवधान)

(माननीय सदस्य श्री मातबर सिंह कण्डारी तथा श्री भगत सिंह कोश्यारी को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में खड़े होकर नारे लगाने लगे– भू–अध्यादेश को वापस लो–वापस लो, काला कानून वापस लो–वापस लो तथा उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे– भू–अध्यादेश को सख्ती से लागू करो–लागू करो, भू–माफियाओं को उत्तराखण्ड की धरती से भगाया जाए–भगाया जाए।)

श्री अध्यक्ष–

मैं सदन को 1.00 बजे तक के लिए स्थगित करता हूँ।

प्रश्नोत्तर

उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 38 (2) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त

तारांकित स्थगित प्रश्न

राज्य में रेशम उद्योग की सम्भावनायें एवं ग्रामीणों की भागीदारी हेतु सरकार की नीति

*1. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या उद्यान मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्रों में रेशम उत्पादन की अपार सम्भावनायें हैं?

यदि हाँ, तो क्या पर्वतीय क्षेत्र में रेशम उद्योग से ग्रामीणों की भागीदारी के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है?

यदि हाँ, तो इसका स्वरूप क्या है?

यदि नहीं, तो क्यों?

उद्यान मंत्री (श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल)–

जी हाँ।

उत्तरांचल के पर्वतीय क्षेत्र में रेशम विकास की सम्भावनाओं को दृष्टिगत रखते हुए विभाग द्वारा 21 विकास खण्डों में 31 चॉकी उद्यान एवं प्रसार केन्द्र स्थापित किए गये हैं।

उत्तरांचल सरकार द्वारा पर्वतीय घाटी क्षेत्रों में शहतूती रेशम तथा ऊँचाई वाले पर्वतीय भागों में गैर शहतूती ओक टसर रेशम उत्पादन कार्य को संचालित करने की रणनीति बनाई गयी है, इस क्रम में जनपद रुद्रप्रयाग एवं चमोली में ओक टसर कीट पालन का कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है, जिसको अन्य पर्वतीय जनपदों में भी विस्तारित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

इस परियोजना के अन्तर्गत ओक टसर रेशम कीट पालन कार्य से लेकर रीलिंग, स्पिनिंग, बीविंग तथा विपणन आदि कार्य ग्रामीण कृषकों/उद्यमियों की सहभागिता से संचालित किए जा रहे हैं।

प्रदेश में आगामी वर्षों में शहतूती एवं गैर शहतूती रेशम विकास की दशा में स्वरूप निर्धारित करने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार के विशेषज्ञों तथा रेशम निदेशालय उत्तरांचल के शीर्ष अधिकारियों की एक कमेटी गठित की गई है, जिसका दायित्व उपलब्ध संसाधनों एवं सम्भावनाओं का दोहन करने हेतु आगामी 10 वर्षों के लिए कार्ययोजना का ब्लू प्रिन्ट/पर्सपैक्टिव प्लान की संरचना करना है।

प्रश्न नहीं उठता।

नोट :– उ0प्र0 विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 41 के अन्तर्गत सभी प्रश्न उत्तरित माने गये।

उत्तरांचल के ग्राम प्रधानों से परिवार रजिस्टर तथा अन्य दस्तावेजों की अभिरक्षा एवं पंचायत मंत्री की नियुक्ति

*2. श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के ग्राम प्रधानों से परिवार रजिस्टर व अन्य दस्तावेज रखने के अधिकार वापस ले लिये गये हैं?

क्या जनता की असुविधा को ध्यान में रखा गया है?

क्या प्रत्येक ग्राम सभा में सरकार एक–एक पंचायत मंत्री नियुक्त करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

जी नहीं। वर्ष 1999 में धारा 109–क में संशोधन करके अभिलेख सचिव की अभिरक्षा में दिये गये थे, जिन्हें अब पुनः प्रधान की अभिरक्षा में दे दिया गया है।

जी हाँ।

प्रत्येक ग्राम पंचायत में एक कर्मी/सचिव की व्यवस्था किया जाना विचाराधीन है।

कार्यवाही की जा रही है।

तारांकित प्रश्न

बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बदलने के कारण

*1. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में प्राथमिक बेसिक एवं माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम बदला गया है?

यदि हाँ, तो पाठ्यक्रम बदले जाने के क्या कारण हैं?

शिक्षा मंत्री (श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी)–

वर्तमान में प्राथमिक स्तर पर पाठ्यक्रम बदला गया है। माध्यमिक शिक्षा का पाठ्यक्रम नहीं बदला गया है।

उत्तरांचल के पर्यावरण, प्राकृतिक परिवेश, महापुरुष, संस्कृति मूल्य तथा ऐतिहासिक एवं भौगोलिक स्थितियों का छात्र–छात्राओं को ज्ञान कराने के उद्देश्य से कतिपय पाठ्यक्रमों को बदला गया है।

प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति मानक के आधार पर करने की योजना

*2. नेता प्रतिपक्ष (श्री मातबर सिंह कण्डारी)–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति मानक के आधार पर करने की सरकार की कोई कार्य योजना है?

यदि हाँ तो कब तक उक्त योजना प्रदेश में लागू हो जायेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

मानकानुसार प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्तियों की कार्यवाही गतिमान है।

एन0सी0ई0आर0टी0 के प्रकाशकों की कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें क्रय किये जाने के मानक

*3. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि शिक्षा विभाग के अपर निदेशक एन0सी0ई0आर0टी0 ने पत्रांक 1763–79/पु0सं0/2003–04 दिनांक 16 जून, 2003 द्वारा सत्र 2003–04 हेतु कक्षा 9 से 12 तक की पाठ्य पुस्तकें क्रय करने हेतु समस्त जिला विद्यालय निरीक्षकों को निर्देशित किया गया था।

यदि हाँ, तो किन–किन प्रकाशकों की पुस्तकें क्रय किये जाने की संस्तुति किस मानकानुसार की गयी?

क्या प्रकाशकों के चयन में अनियमितता की शिकायतें प्राप्त हुई हैं?

यदि हाँ, तो शिकायतों पर क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में एन0सी0ई0आर0टी0 संचालित नहीं है।

यह भारत सरकार की संस्था है।

प्रदेश में हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने एवं बुनकरों के कल्याण हेतु कार्ययोजना

*4. श्री मदन कौशिक–

क्या ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने एवं बुनकरों के कल्याण हेतु सरकार द्वारा कोई कार्ययोजना बनाई गई है?

यदि हाँ, तो उसकी रूपरेखा क्या है और योजना को कब तक कार्यान्वित किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

प्रदेश के हथकरघा उद्योग को बढ़ावा देने तथा हथकरघा बुनकरों के सर्वांगीण विकास के लिये सरकार द्वारा भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना दीनदयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना प्रदेश में लागू है। इस योजनान्तर्गत बुनकरों के उत्पादन, कौशल में वृद्धि, अवस्थापना विकास सहायता, उपकरणों की आपूर्ति, डिजाइन सुधार, प्रशिक्षण, प्रचार–प्रसार एवं सामान्य सुविधा केन्द्र की स्थापना से सम्बन्धित सुविधायें प्रदत्त की जाती हैं। भारत सरकार द्वारा बुनकरों के लिये संचालित कार्यशाला सह आवास योजना का कार्यान्वयन भी प्रदेश सरकार द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

पर्वतीय क्षेत्र में शीत गृहों का निर्माण

*5. श्री मालचन्द्र–

क्या उद्यान मंत्री भिज्ञ हैं कि पर्वतीय क्षेत्रों में यातायात की असुविधा एवं बरसात के समय काश्तकारों एवं उद्यानपतियों के नकदी एवं व्यापारिक फसलें जैसे– सेब, नाशपाती, बादाम, टमाटर आदि को मण्डी तक पहुँचाने में काफी समय लग जाता है, जिसके कारण काश्तकारों एवं उद्यानपतियों को काफी नुकसान उठाना पड़ता है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त समस्या के समाधान हेतु बड़कोट, नौगाँव, पुरोला, मोरी, आराकोट, डुण्डा, चिन्यालीसौड़ एवं उत्तरकाशी में शीत गृहों (कोल्ड स्टोरेज) की स्थापना करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

समस्या के समेकित समाधान हेतु शासन ने कई कदम उठाएं हैं और औद्यानिक विकास क्षेत्रों को संस्थागत खरीददार से जोड़ा गया है, अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु समेकित आधार पर कार्य किया जा रहा है। सरकार निजी व संगठित क्षेत्र में इस कार्य को करने हेतु प्रोत्साहन दे रही है।

प्रदेश में वर्ष 2002–2003 में रा0इ0 कालेजों हेतु कम्प्यूटरों की खरीद एवं प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति

*6. श्री बलबीर सिंह नेगी एवम् श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि वर्ष 2002–03 में कितनी धनराशि के कम्प्यूटर प्रदेश के रा0 इण्टर कालेजों के लिए खरीदे गये तथा कम्प्यूटर शिक्षा हेतु कितने प्रशिक्षित शिक्षक नियुक्त किये गये?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 2002–03 में कुल रु0–23,44,54,000.00 की धनराशि राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना हेतु स्वीकृत की गयी थी, जिसे हिल्ट्रान को अवमुक्त कर दिया गया।

कम्प्यूटर शिक्षा हेतु पृथक से प्रशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति नहीं की गयी है अपितु जिन विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना की जानी है वहाँ के दो–दो अध्यापकों को इन्टैल के सहयोग से जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों में मास्टर ट्रेनर का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। प्रत्येक मास्टर ट्रेनर द्वारा 10 और अध्यापकों को प्रशिक्षित किया जाना है।

चिन्यालीसौड़, जनपद उत्तरकाशी के प्राथमिक विद्यालय त्रिखली में 15–8–03 को ध्वजारोहण न होने पर शिक्षकों के विरुद्ध कार्यवाही

*7. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के विकास खण्ड चिन्यालीसौड़ के प्राथमिक विद्यालय, मोरगी व नौगांव के प्राथमिक विद्यालय त्रिखली में 15–8–03 को ध्वजारोहण किया गया था?

यदि नहीं, तो कार्यरत शिक्षकों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

वर्तमान में कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल में वर्ष 2002–03 में खादी एवं ग्रामोद्योग द्वारा स्थापित उद्योग तथा वर्ष 2003–04 में उद्योग स्थापना का लक्ष्य

*8. काजी निजामुद्दीन–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल के वित्तीय वर्ष 2002–03 में खादी एवं ग्रामोद्योग की सहायता से कौन–कौन से उद्योग स्थापित हुये?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगें कि वित्तीय वर्ष 2003–04 के लिये विभाग द्वारा कितने नये उद्योग स्थापित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल में खादी एवं ग्रामोद्योग की सहायता से वित्तीय वर्ष 2002–03 में 40 उद्योगों की 584 इकाईयाँ स्थापित की गयी। ये उद्योग क्रमशः काष्ठकला, लौह कला, मौन

पालन, केंचुआ खाद उत्पादन, अनाज दाल प्रशोधन, फोटो प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स, रेडीमेड गारमेन्ट, साबुन, फल प्रशोधन, ढाबा, जड़ी बूटी संकलन, धूप/अगरबत्ती निर्माण, चर्म उद्योग, बांसबेत, स्टेशनरी, तेलधानी, मोमबत्ती, स्टोन क्रेशर, इलेक्ट्रीकल्स, निर्माण/मरम्मत, फलोर मिल, मिनी राईस मिल, ईंट भट्टा, ईत्र निर्माण, मेन्था आयल, दुग्ध उत्पादन, कृत्रिम आभूषण, ताम्र उद्योग, डीजल इंजन मरम्मत, टीन उद्योग, ज्वैलरी, ऊन उद्योग, टायर बल्कनाइजिंग, हाथ कागज, डिब्बा निर्माण, मोटर बाइन्डिंग, नाईगिरी आदि है।

वित्तीय वर्ष 2003–04 के जिसे खादी एवं ग्रामोद्योग योजनान्तर्गत स्थापित विभिन्न उद्योगों में निम्न योजनाओं में निम्नानुसार उद्योग स्थापित किये जाने का लक्ष्य रखा गया है :–

1– ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम 316

2– यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना 300

*9. श्री अजय भट्ट– प्रथम सोमवार के तारा0 प्र0–12 में स्थानान्तरित

कृषकों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए शीत गृह

*10. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या उद्यान मंत्री बतायेंगे कि उत्तरांचल में कितने कोल्ड स्टोर कृषकों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए संचालित किए जा रहे हैं तथा जनपदवार इनकी संख्या कितनी है?

क्या सरकार प्रदेश में और कोल्ड स्टोर खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ तो इस दृष्टि से किन स्थानों का चयन अथवा सर्वेक्षण किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल में वर्तमान में 12 कोल्ड स्टोर कृषकों की उपज को सुरक्षित रखने के लिए संचालित हैं, जनपदवार इनकी संख्या निम्न प्रकार है :–

1.	ऊधमसिंह नगर	–06
2.	हरिद्वार	–05
3.	अल्मोड़ा	–01
	योग :–	12

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सरकारी क्षेत्र में निर्मित शीत गृहों का व्यावसायिक रूप से संचालन करना व्यवहारिक एवं लाभकारी नहीं है। सरकार द्वारा पूर्व में निर्मित (अल्मोड़ा) स्थित कोल्ड स्टोर का

निर्माण करने के उपरान्त भी संचालन करने में कठिनाई आने के कारण निजी क्षेत्र में दीर्घकालीन लीज पर देना पड़ा। सरकार द्वारा निजी क्षेत्र में कोल्ड स्टोर खोलने हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है।

प्रदेश में एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमिततायें

*11. श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति में हुई अनियमितताओं को लेकर कोई जाँच समिति गठित की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी बतायेंगे कि जाँच समिति ने अपनी रिपोर्ट शासन को भेज दी है?

यदि हाँ, तो क्या जाँच समिति द्वारा प्राप्त रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।
जाँच समिति का गठन ही नहीं किया गया।

अतारांकित प्रश्न

विशिष्ट बी0टी0सी0 की सीटों की आवंटन नीति

1. श्री मदन कौशिक एवं श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु प्रत्येक जनपद को कितनी–कितनी सीटें दी गयी हैं?

जनपदों में सीटों के आवंटन हेतु कोई नीति बनायी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

विशिष्ट बी0टी0सी0 हेतु जनपदवार सीटों का विवरण निम्नवत् है :–

1. पौड़ी	300
2. चमोली	250
3. रुद्रप्रयाग	125
4. उत्तरकाशी	100
5. टिहरी	200

6. देहरादून	150
7. हरिद्वार	150
8. नैनीताल	150
9. ऊधमसिंह नगर	300
10. अल्मोड़ा	300
11. बागेश्वर	250
12. पिथौरागढ़	200
13. चम्पावत	125
कुल	2600

जी हाँ।

जनपदों की आवश्यकतानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पिथौरागढ़ रा0इ0का0, चहज तथा चौरपाल में प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों के रिक्त पदों पर तैनाती

2. श्री नारायण राम आर्य–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0 कालेज, चहज तथा चौरपाल, जिला पिथौरागढ़ में प्रवक्ताओं तथा अध्यापकों के कुल कितने पद कब से रिक्त हैं?

रिक्त पदों पर कब तक तैनाती कर दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

राजकीय इण्टर कॉलेज, चहज में प्रवक्ता के 04 पद तथा सहायक अध्यापक के 06 पद एवं रा0इ0का0 चौरपाल, पिथौरागढ़ में प्रवक्ता के 05 पद एवं सहायक अध्यापक के 04 पद रिक्त हैं, रिक्तियों के तिथिवार विवरण निम्नवत हैं :–

विद्यालय का नाम/पद	पद नाम	रिक्ति की तिथि
रा0इ0का0, चहज–	संस्कृत	12–12–98
	ना0 शास्त्र	31–08–93
प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	30–06–95
	भौ0 विज्ञान	02–08–96
एल0टी0	भाषा	08–07–02
	वि0/गणित	14–09–95
	02 पद	15–07–02
	अंग्रेजी	18–08–02
	सामान्य	7/97
	कला	03–07–02

विद्यालय का नाम/पद	पद नाम	रिक्ति की तिथि
रा0इ0का0, चौरपाल–प्रवक्ता	अर्थशास्त्र	15–07–92
	अंग्रेजी	15–07–92
	संस्कृत	15–07–97
	हिन्दी	03–07–98
	जीव विज्ञान	13–11–98
एल0टी0	भाषा	15–09–03
	वि0ग0–2	07–07–02
	व्यायाम	20–07–01

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में जड़ी–बूटी शोध संस्थान द्वारा जड़ी–बूटियों के उत्पादन की प्रजाति एवं किसानों को प्रशिक्षण

3–श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जड़ी–बूटी शोध संस्थान गोपेश्वर द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग में किन–किन स्थानों पर जड़ी–बूटी उत्पादन का कार्य किया जा रहा है, तथा कौन–कौन सी प्रजाति की पौध तैयार की जा रही है?

क्या विभाग द्वारा किसानों को उत्पादन की जानकारी समय पर दी जा रही हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जनपद रुद्रप्रयाग के ग्राम कोदिया विकास खण्ड अगस्तमुनि में एक आदर्श औषधीय पादप एवं सुगन्ध पौधशाला की स्थापना की जा रही है, जिसमें निम्न प्रजाति की पौध तैयार की जायेगी :–

1. वन ककड़ी, 2. काला जीरा, 3. बज, 4. जिरेनियम, 5. लेमनग्रास, 6. पिपरमेन्ट, 7. सिट्रोनेला, 8. जटामांसी, 9. सर्पगन्धा, 10. कूठ।

इसके साथ ही विकास खण्ड जखोली के 51 कृषकों को जिरेनियम, सिट्रोनेला तथा लेमनग्रास के कृषिकरण हेतु चयनित किया गया है, जनपद के औद्योगिक क्षेत्र भटवाड़ीसैण में प्रसंस्करण इकाई की स्थापना प्रस्तावित है।

जी हाँ, प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, तथा संस्थान के वैज्ञानिकों के द्वारा कृषिकरण संरक्षण एवं विपणन की जानकारी प्रदान की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

यमकेश्वर जिला पौड़ी में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित विद्यालयों के भवन का निर्माण

4. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में सन् 2000–2001 एवं 2001–2002 में विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित सभी विद्यालयों के भवन पूर्ण बन चुके हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

वर्ष 2000–2001 एवं वर्ष 2001–2002 में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल में विश्व बैंक योजना संचालित नहीं थी।

यमकेश्वर जिला पौड़ी के राजकीय एवं आशासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना एवं प्रशिक्षकों की नियुक्ति

5. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के कितने राजकीय एवं कितने अशासकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लगाये गये हैं?

क्या सभी विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षक रखे गये हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र यमकेश्वर जिला पौड़ी गढ़वाल के केवल 05 राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटरों की स्थापना की गई है।

कम्प्यूटरीकृत 05 राजकीय विद्यालयों में से वर्तमान में 04 विद्यालयों में 02–02 अध्यापक प्रति विद्यालय में मास्टर ट्रेनर के रूप में प्रशिक्षित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों एवं जिला चमोली के माध्यमिक विद्यालयों में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति

6. श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तरांचल के दूरस्थ पहाड़ी क्षेत्रों में स्थित अनेकों माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार जनपद चमोली में रा0इ0 कालेज बछुवाबाण, मेहलचोरी, कुनीगाड, रोहिडा, सलियाणा, देवलकोट, नैणी, सिदौली, केदारखाल एवं रा0उ0मा0 विद्यालय घादियाल

सलियाणा, गैरोली, चोरासैण, नैल विद्यालयों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक सुनिश्चित करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ। राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के कुल 454 पद रिक्त थे, जिनमें से 170 पद भर दिये गये हैं। सम्प्रति 284 पद रिक्त हैं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

"सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से प्राप्त धनराशि की स्वीकृतियों के मानक

7. श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के सरकार द्वारा क्या मापदण्ड अपनाये हैं?

अल्मोड़ा जिले के अन्तर्गत "सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत केन्द्र सरकार से आज तक कितनी धनराशि प्राप्त हो चुकी है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

"सर्व शिक्षा अभियान" के अन्तर्गत स्वीकृतियां जारी करने के लिए मापदण्ड यह है कि अनुमोदित कार्य योजना के सापेक्ष 75 प्रतिशत केन्द्रांश भारत सरकार द्वारा तथा 25 प्रतिशत राज्यांश राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत किया जाता है।

जनपद अल्मोड़ा को वर्ष 2001–02 से अब तक कुल रु0 9.12 करोड़ अवमुक्त किया जा चुका है।

जनपद पिथौरागढ़ के इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

8. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ के कितने इण्टरमीडिएट तथा हाई स्कूल विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त हैं?

क्या सरकार इस शैक्षणिक वर्ष में सभी विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्तियां करने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ। जनपद पिथौरागढ़ के 25 राजकीय इण्टर कालेजों तथा 34 राजकीय हाई स्कूलों में क्रमशः प्रधानाचार्य एवं प्रधानाध्यापक के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को 5 वर्ष से अधिक अवधि में भी नियोजित करने पर विचार

9. श्री हरभजन सिंह चीमा–

क्या शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा विभाग में मृतक आश्रितों को नियोजित किए जाने हेतु आवेदन की समय सीमा 5 वर्ष कर दी गई है?

यदि हाँ तो क्या सरकार 5 वर्ष की अवधि के भीतर आवेदन न कर पाने वाले मृतक आश्रितों को सेवा का अवसर नहीं देगी?

यदि नहीं तो 5 वर्ष से अधिक के आश्रितों को रोजगार दिए जाने हेतु सरकार की कोई योजना है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

नियमानुसार संभव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में भवनहीन हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों की संख्या

10. श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालयों में कुल कितने भवनहीन विद्यालय चल रहे हैं तथा जिलेवार इनकी संख्या कितनी है?

क्या सरकार इन भवनहीन विद्यालयों के निर्माण की कोई योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में वर्तमान में कोई हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट विद्यालय भवनहीन नहीं है।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में 6 अगस्त, 1993 के बाद प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण के लम्बित मामले

11. श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री यह बतायेंगे कि 6 अगस्त, 1993 के बाद प्रधानाचार्यों के नियमितीकरण के कितने मामले प्रदेश में लम्बित हैं?

आज तक विनियमित न होने के क्या कारण हैं? क्या सरकार इन प्रधानाचार्यों को विनियमित करने जा रही है? यदि हाँ तो कब तक? यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

कोई नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति के लाभों एवं नियमों में एकरूपता

12. श्री अजय भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि सरकारी विद्यालयों में अध्यापकों की अवकाश प्राप्त करने की उम्र 60 वर्ष है?

क्या यह भी सत्य है कि यदि कोई अशासकीय विद्यालय का अध्यापक 60 वर्ष तक नौकरी करने का विकल्प दे तो ग्रेच्यूटी देय नहीं है?

यदि हाँ, तो ऐसे भेदभाव का क्या कारण है?

क्या सरकार शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति के लाभों एवं नियमों में एकरूपता लाने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

लोक सेवकों की अधिवर्षता आयु जब 58 वर्ष थी तब अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षकों को 58 वर्ष की अधिवर्षता पर बिना ग्रेच्यूटी के पेंशन प्राप्त करने का विकल्प था। सम्प्रति लोक सेवकों की अधिवर्षता 60 वर्ष कालान्तर में निर्धारित की गई है,

किन्तु 60 वर्ष की आयु में अधिवर्षता प्राप्त करने पर लोक सेवकों को ग्रेच्यूटी दिये जाने का कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के अध्यापकों के अवकाश प्राप्ति के सम्बन्ध में पूर्व से ही समानता नहीं रही है। वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद पिथौरागढ़ में रा0इ0 कॉलेज, चौरपाल का उच्चीकरण वर्ष तथा भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण सम्बन्धी प्रकरण

13. श्री काशी सिंह ऐरी–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में रा0इ0का0, चौरपाल कब उच्चीकृत हुआ और इसके भवन निर्माण हेतु वन भूमि हस्तानान्तरण सम्बन्धी प्रकरण कब से लम्बित है?

जिला विद्यालय निरीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक, उत्तरांचल को अब तक कब–कब और कितने अनुस्मारक भेजे गये?

उक्त वन भूमि हस्तानान्तरण में हुए विलम्ब के क्या कारण रहे हैं और इसके लिए कौन दोषी है तथा कब तक भूमि हस्तानान्तरण एवं भवन निर्माण पूरा हो जायेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ में रा0इ0का0, चौरपाल वर्ष 1988 में उच्चीकृत हुआ है। सम्बन्धित वन भूमि हस्तानान्तरण प्रकरण वर्ष 1998 से लम्बित है।

जिला विद्यालय निरीक्षक पिथौरागढ़ द्वारा इस सम्बन्ध में शिक्षा निदेशक को दिनाँक 17.09.2002, 21.12.2002, 21.01.2003, 20.05.2003, 23.06.2003, 21.07.2003 तथा 21.08.2003 को पत्र भेजे गये, जिनमें 06 अनुस्मारक हैं।

वन भूमि हस्तानान्तरण से पूर्व क्षतिपूरक वृक्षारोपण की धनराशि की स्वीकृति नियमानुसार अपेक्षित है। प्रकरण में विलम्ब के लिए कोई उत्तरदायी नहीं है। भूमि हस्तानान्तरणोपरान्त यथा समय अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

प्रदेश में भवनविहीन जू0हा0 स्कूल एवं बेसिक पाठशालाओं के भवनों का निर्माण

14. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने जू0हा0 स्कूल एवं कितने बेसिक पाठशालायें भवन विहीन हैं?

क्या सरकार इन विद्यालयों के भवन निर्माण का कार्य करवायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में 207 जू0हा0 स्कूल एवं 159 बेसिक पाठशालायें भवन विहिन हैं तथा प्रदेश में कोई हाई स्कूल भवन विहीन नहीं है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में इस वित्तीय वर्ष में खुलने वाले नये प्राथमिक विद्यालय, जू0 हाई स्कूल एवं इण्टर कालेज की संख्या

15. श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में इस वित्तीय वर्ष में सरकार कितने प्राथमिक विद्यालय, जूनियर हाई स्कूल एवं इण्टरमीडिएट कालेज खोलने का विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद चमोली में इस वित्तीय वर्ष में सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत 26 प्राथमिक विद्यालय एवं 25 जूनियर हाई स्कूल खोले जाने का लक्ष्य है। उक्त के अतिरिक्त 18 राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

परीक्षणोपरान्त मानकानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान गौचर, जिला चमोली का भवन निर्माण

16. श्री अनिल नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री भिज्ञ हैं कि जनपद चमोली के गौचर नामक स्थान में जिला एवं प्रशिक्षण संस्थान हैं?

क्या यह संस्थान भवन विहीन है तथा टूटे–फूटे भवनों पर संचालित हो रहा है?

क्या मंत्री जी यह भी बताने का कष्ट करेंगे कि इस संस्थान हेतु भूमि अधिग्रहण की समस्त प्रक्रिया पूरी हो चुकी है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त हेतु भवन निर्माण प्रारम्भ हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रक्रिया गतिमान है।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालयों में मानक के अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति

17. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में प्राथमिक विद्यालयों में कितने विद्यालय शिक्षक विहीन तथा एकल शिक्षक के विद्यालय हैं?

क्या सरकार निर्धारित मानकों के अनुसार प्रत्येक विद्यालय में शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद पिथौरागढ़ में शिक्षक विहीन प्राथमिक विद्यालय 05 हैं तथा एकल अध्यापकीय प्राथमिक विद्यालय 302 हैं।

रिक्त पदों पर शिक्षा मित्रों की व्यवस्था की कार्यवाही की जा रही है।

कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पिथौरागढ़ में बेसिक शिक्षा के अध्यापकों के स्थानान्तरण के वार्षिक प्रबन्ध में हुई अनियमितता

18. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ में बेसिक शिक्षा में अध्यापकों के स्थानान्तरण के वार्षिक प्रबन्ध में व्यापक अनियमितता किये जाने की शिकायतों के आधार पर 30 जून, 2003 को किये गये वार्षिक प्रबन्ध को निरस्त कर दिया गया था?

यदि हाँ तो सरकार द्वारा अनियमितता किये जाने वाले अधिकारियों पर कोई कार्यवाही की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

स्थानान्तरण में अनियमितता के लिए जिम्मेदार तत्कालीन बेसिक शिक्षा अधिकारी पिथौरागढ़ को पद से हटा कर जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान डीडीहाट में वरिष्ठ प्रवक्ता के पद पर स्थानान्तरण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में सरकार द्वारा चाय का उत्पादन बढ़ाने की कार्य योजना

19. काजी निजामुद्दीन–

क्या उद्यान मंत्री बताएंगे कि राज्य में कितनी हेक्टेयर भूमि में चाय की खेती की जा रही है?

क्या सरकार ने चाय का उत्पादन बढ़ाने के लिए कोई कार्य योजना बनाई है?

यदि हाँ तो योजना का स्वरूप क्या है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

राज्य में चाय परियोजना नैनीताल द्वारा 312 हेक्टेयर में तथा निजी क्षेत्र में 933 हेक्टेयर अर्थात कुल 1245 हेक्टेयर में चाय की खेती की जा रही है।

जी हाँ।

तत्कालीन उत्तर प्रदेश शासन की सार्वजनिक निवेश समिति द्वारा स्वीकृत योजना के अनुरूप प्रदेश में कुल 433 हेक्टेयर में चाय विकास परियोजना के माध्यम से चाय बागान विकसित करने की योजना बनाई गई है, जिसके अन्तर्गत कृषकों की भूमि को दीर्घकालीन लीज पर प्राप्त कर चाय बागान विकसित किये जाते हैं।

प्रान्तीयकृत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अशासकीय स्तर की सेवाओं का लाभ

20. श्रीमती विजय बड़थ्वाल–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि प्रान्तीयकृत शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की अशासकीय स्तर की सेवाओं का लाभ, प्रोन्नत, वेतनमान, आंगणित नहीं किया जा रहा है?

क्या सरकार शिक्षकों की भाँति शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को भी यह लाभ दिये जाने का विचार करेंगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रान्तीयकृत विद्यालयों के शिक्षणेत्तर कर्मचारियों को अशासकीय अवधि की सेवाओं का लाभ दिये जाने का कोई प्राविधान नहीं है।

उत्तरांचल के विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ द्वारा अध्यापकों की नियमित नियुक्ति की योजना

21. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत एवं श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के विभिन्न विद्यालयों में शिक्षक अभिभावक संघ (पी0टी0ए0) द्वारा शिक्षण कार्य हेतु अध्यापक रखे गये हैं?

यदि हाँ, तो कितने विद्यालयों में तथा कब से?

क्या सरकार इनको नियमित करने की योजना बना रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में पी0टी0ए0 शिक्षक रखे गये हैं।

वर्ष 1991 से वर्ष 2001–02 तक अशासकीय सहायता प्राप्त 143 विद्यालयों में पी0टी0ए0 अध्यापक/अध्यापिकायें रखी गई हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के 548 पी0टी0ए0 शिक्षकों को अधिकतम मानदेय रु0 4,000/– प्रतिमाह अनुमन्य किया गया है।

उत्तरांचल में शिक्षा बन्धु व शिक्षा मित्र विजिटिंग फैकल्टी प्रवक्ता के पदों पर कार्यरत शिक्षकों की सेवा शर्तों की योजना

22. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में शिक्षा बन्धु व शिक्षा–मित्र, विजिटिंग फैकल्टी प्रवक्ता नाम के पदों पर शिक्षक कार्यरत हैं?

यदि हाँ, तो सरकार की उक्त शिक्षकों की सेवा शर्तों के सम्बन्ध में क्या योजना है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ। माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षा बन्धु प्राथमिक शिक्षा में शिक्षा मित्र कार्यरत हैं।

प्रश्नगत वैकल्पिक व्यवस्था नितान्त अस्थायी है। अतः इनके सेवा शर्तों के निर्धारण कर सम्प्रति कोई योजना नहीं है।

पिथौरागढ़ स्थित रा0इ0 कालेज तथा उ0मा0वि0 में प्रधानाचार्यों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

23. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि विधान सभा क्षेत्र पिथौरागढ़ में स्थित राजकीय इन्टर कालेज तथा उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में प्रधानाचार्यों के पदों में रिक्तियाँ चली आ रही हैं?

यदि हाँ तो क्या सभी विद्यालयों के रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों में सेवायोजन शैक्षणिक सत्र 2003–04 में कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथासंभव।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तरांचल के राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को एल0टी0 वेतन क्रम में पदोन्नति

24. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल के राजकीय आदर्श विद्यालयों में कार्यरत सहायक अध्यापकों को एल0टी0 वेतनक्रम में पदोन्नति प्रदान की गयी है?

यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालयों में कार्यरत प्रधानाध्यापकों को पदोन्नति से वंचित रखा गया है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों की पदोन्नति पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नियमानुसार पदोन्नति की व्यवस्था नहीं है।

25. तसलीम अहमद– प्रथम मंगल के अता0 प्र0 125 में स्थानान्तरित।

जसपुर वि0स0 क्षेत्र में आम निर्यातकों के प्रोत्साहन हेतु मैंगो एक्सपोर्ट जोन बनाने पर विचार

26. डा0 शैलेन्द्र मोहन सिंघल–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जसपुर विधान सभा क्षेत्र में आमों के उद्यानों की बहुतायत को देखते हुए क्या सरकार आम के निर्यातकों को प्रोत्साहन देने के लिये उक्त क्षेत्र को मैंगो एक्सपोर्ट जोन बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कृषि निर्यात क्षेत्र की घोषणा एपिडा की संस्तुति के उपरान्त वाणिज्य मंत्रालय भारत सरकार के द्वारा की जाती है किसी भी राज्य में किसी विशिष्ठ उत्पाद के लिए निर्यात क्षेत्र का गठन होता है तदनुसार उत्तरांचल में लीची, पुष्प, जड़ी–बूटी एवं बासमती के निर्यात क्षेत्र का गठन किया गया है।

प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों के प्रान्तीयकरण के मानक

27. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्रान्तीयकरण के क्या मानक हैं?

क्या जनपद पिथौरागढ़ में जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय लेखधार के प्रान्तीयकरण का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय ले लिया जाएगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रान्तीयकरण हेतु शासनादेश दिनांक 8–10–2003 में निर्धारित मानक निम्नवत् हैं :–

संस्था सहायता प्राप्त हो, विद्यालय भवन/भूमि, प्रबन्ध समिति एवं नियुक्तियों में कोई विवाद न हो, विद्यालय से सम्बन्धित कोई मामला न्यायालय में लम्बित न हो, विद्यालय की कोई देनदारी न हो, विद्यालय में आवश्यक भूमि/भवन, क्रीड़ांगन, काष्ठोपकरण, पुस्तकालय एवं प्रयोगशालायें उपलब्ध हों, संस्था निःशुल्क हस्तान्तरण के लिए सहमत हो, विगत 5 वर्षों का परीक्षाफल 50 प्रतिशत से कम न हो, प्रान्तीयकरण के फलस्वरूप शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारी कनिष्ठतम पद को स्वीकार करने हेतु अनुबन्ध करने को सहमत हों, प्रान्तीयकरण के समय कोई अतिरिक्त पद सृजन न हो, इत्यादि।

जी हाँ।

यथासमय।

राजगढ़ी (उत्तरकाशी) स्थित राजकीय इण्टर कालेज का भवन निर्माण

28. श्री मालचन्द्र–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि राजकीय इन्टर कालेज राजगढ़ी (उत्तरकाशी) वर्ष 1975 में खुला था तथा 27 वर्ष बाद भी आज तक इस विद्यालय का भवन निर्माण स्वीकृत नहीं किया गया?

क्या सरकार इस विद्यालय भवन का निर्माण करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी में पैक्सफैड द्वारा निर्माणाधीन प्रा0वि0/जू0हा0 स्कूल भवनों के लम्बित कार्य

29. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में पैक्सफैड द्वारा निर्माणाधीन प्रा0 विद्यालय/जू0हा0 स्कूल भवनों का कार्य कितने वर्षों से लम्बित हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उ0प्र0 की निर्माण एजेन्सी पैक्सफैड के विरुद्ध कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 1998–99 से लम्बित है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

बेमौसमी सब्जी खरीद एवं भण्डारण के लिये कार्य योजना

30. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार बेमौसमी सब्जी खरीद एवं भण्डारण के लिए कोई कार्य योजना बनाये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हैं, तो क्या सरकार उक्त योजना का प्रारूप सदन के पटल पर रखेगी?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरिद्वार में किसी भी हॉकी मैदान पर एस्ट्रो–ट्रफ लगाने की योजना

31. काजी निजामुद्दीन–

क्या खेलकूद मंत्री बतायेंगे कि राज्य में हॉकी के कितने मैदानों पर 'एस्ट्रो–ट्रफ' लगी है? क्या सरकार की जनपद हरिद्वार में हॉकी के किसी मैदान पर "एस्ट्रो–ट्रफ" लगवाने की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

वित्तीय संसाधनों के अभाव में अभी इस सम्बन्ध में कार्यवाही किया जाना संभव नहीं हो पा रहा है।

जनपद टिहरी में वर्ष 2001–2002 में किसानों को वितरित फलदार पौधे एवं खाद का ब्योरा

32. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2001–02 में किसानों को कितने फलदार वृक्षों के पौधे एवं कितनी खाद निःशुल्क वितरित की गई है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

वर्ष 2001–02 में जनपद टिहरी गढ़वाल में 30529 फलदार पौधे एवं 5781 किलोग्राम खाद (रासायनिक उर्वरक) निःशुल्क वितरित की गई है।

जनपद टिहरी में उच्चीकृत रा0इ0 कालेज में अध्यापकों के पदों का सृजन

33. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में इस वित्तीय वर्ष में, उच्चीकृत राजकीय इण्टर कॉलेजों में अध्यापकों के पद सृजन की स्वीकृति कब तक मिल जायेगी?

क्या सरकार विद्यार्थियों के हित में अविलम्ब पद सृजन की कार्यवाही करेगी?

यदि हँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

यथाशीघ्र।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के वि0ख0 भिलंगना में प्राथमिक विद्यालय जखाणा के भवन का निर्माण

34. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री की जानकारी में है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में प्रा0 विद्यालय–जखाणा के भवन का निर्माण पैक्सफैड द्वारा कराया गया है?

क्या विद्यालय भवन का निर्माण पूर्ण कर दिया है?

यदि नहीं, तो क्या सरकार भवन निर्माण पूर्ण कराने के लिए कोई प्रभावी कार्यवाही करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

पैक्सफैड ऐजेंसी के विरुद्ध जिला अधिकारी टिहरी के माध्यम से कार्यवाही गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी व टिहरी के सहायक अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान

35. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि सी0पी0एड0 अभ्यर्थियों की नियुक्ति परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में सहायक अध्यापकों के पदों पर जनपदों में अप्रशिक्षित वेतनमान पर की गयी थी?

क्या यह सही है कि जनपद पौड़ी व चमोली में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान किया जा रहा है?

क्या इसी समानता पर जनपद उत्तरकाशी व टिहरी के अभ्यर्थियों को प्रशिक्षित वेतनमान का भुगतान किया जायेगा?

यदि हाँ, तो कब से?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जनपद पौड़ी व चमोली में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से अप्रशिक्षित अध्यापकों को प्रशिक्षित वेतनमान न दिये जाने का निर्णय मा0 उच्च न्यायालय के आदेशों के क्रम में लिया गया है तथा इन अध्यापकों को पूर्व में किये गये अतिरिक्त भुगतान की वसूली के आदेश जारी किये गये हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

निर्धारित प्राविधानों में अनुमन्य न होने के कारण।

राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से पत्राचार माध्यम द्वारा प्रशिक्षण प्राप्त बी0एड0 अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रवेश साक्षात्कार में सम्मिलित करने की माँग

36. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर से बी0एड0 पत्राचार माध्यम से प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को विशिष्ट बी0टी0सी0 प्रवेश साक्षात्कार में सम्मिलित करने के आदेश जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्यों को निर्गत किये जा चुके हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

राष्ट्रीय पत्राचार संस्थान कानपुर द्वारा शिक्षालंकार प्रशिक्षण दिया जाता है, जो बी0एड0 के समकक्ष नहीं है।

जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कालेज वनचौरा में रिक्त प्रधानाचार्य के पद पर तैनाती

37. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज, वनचौरा में प्रधानाचार्य का पद कब से रिक्त है?

उक्त पद पर पूर्णकालिक प्रधानाचार्य की तैनाती कब तक कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ, राजकीय इण्टर कालेज वनचौरा, उत्तरकाशी में प्रधानाचार्य का पद दिनाँक 30.06.2000 से रिक्त है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी में राजकीय इण्टर कालेजों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्ति

38. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल कितने राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों के पद रिक्त चल रहे हैं?

क्या सरकार इन कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्तमान में 55 राजकीय इण्टर कालेजों में प्रधानाचार्य के पद रिक्त हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के घमातोली में स्टेडियम का निर्माण

39. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के घमातोली में स्टेडियम निर्माण हेतु पूर्ववर्ती सरकार के पर्यटन मंत्री द्वारा शिलान्यास किया गया था? यदि हाँ, तो उक्त स्टेडियम के निर्माण में विलम्ब के क्या कारण हैं? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि उक्त स्टेडियम निर्माण की कार्यवाही कब तक पूर्ण हो जायेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

जनपद टिहरी गढ़वाल के घमातोली में स्टेडियम निर्माण हेतु अभी तक कोई वित्तीय स्वीकृति जारी नहीं की गई है एवं न ही इस स्टेडियम के शिलान्यास/निर्माण के सम्बन्ध में कोई विवरण/अभिलेख युवा कल्याण विभाग के पास उपलब्ध है।

जनपद टिहरी के सभी अशासकीय हा0 स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेज में रिक्त पदों पर नियुक्ति

40. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में कुल कितने अशासकीय हाई स्कूल व इण्टरमीडिएट कॉलेज हैं?

इन विद्यालयों में कब से रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ किये जाने पर विचार कर रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद टिहरी गढ़वाल में 12 अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टर कॉजेज, 02 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त इण्टर कालेज तथा 10 वित्त विहीन मान्यता प्राप्त हाई स्कूल हैं?

सहायता प्राप्त अशासकीय विद्यालयों में वर्ष 1992 से नियमित नियुक्तियाँ नहीं हुई हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद टिहरी के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कुम्मशिला का उच्चीकरण

41. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में वर्ष 2001 को राजकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय–कुम्मशिला का इण्टर स्तर तक उच्चीकरण किया गया था?

यदि हाँ, तो क्या उक्त विद्यालय इण्टर स्तर तक संचालित हो रहा है?

यदि हाँ, तो कब से?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

शैक्षिक सत्र 2001–02 से।

जनपद टिहरी स्थित भिलंगना में प्रा0वि0 भेंटी हिन्दाव का क्षतिग्रस्त भवन का निर्माण

42. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में प्राथमिक विद्यालय भेंटी हिन्दाव का भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त है?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा कक्षाओं के सुचारू रूप से संचालन हेतु कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गयी है?

क्या विद्यालय के भवन निर्माण हेतु प्रस्तावित धनराशि इसी वित्तीय वर्ष में अवमुक्त करा दी जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ। आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त है।

प्राथमिक विद्यालय भेंटी हिन्दाव आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त होने के कारण विद्यालय में विधिवत् कक्षायें संचालित की जा रही हैं।

विद्यालय की लघु मरम्मत हेतु रु0 20 हजार की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।

प्रश्न नहीं उठता।

घनसाली वि0स0 क्षेत्र के बालिका हाई स्कूल बहेड़ा विद्यालय का उच्चीकरण

43. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि घनसाली विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत एक मात्र बालिका हाई स्कूल बहेड़ा संचालित है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इस वर्ष उक्त विद्यालय का उच्चीकरण करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

क्योंकि बहेड़ा में बालिका हाई स्कूल संचालित नहीं है।

जनपद टिहरी में विकास खण्ड भिलंगना के विकास हेतु समन्वित विकास योजना की मांग

44. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विकास खण्ड भिलंगना के विकास हेतु शासन स्तर पर प्रस्तुत समन्वित विकास योजना को लागू किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

यह योजना वर्तमान में कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनपद पौड़ी, चमोली एवं अल्मोड़ा के लिए स्वीकृत हुई है।

जनपद टिहरी के विकास खण्ड भिलंगना में स्थित जूनियर हाई स्कूल रगड़ी का उच्चीकरण

45. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड भिलंगना में स्थित जूनियर हाई स्कूल रगड़ी का उच्चीकरण किये जाने का प्रस्ताव

शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सरकार द्वारा उत्तरांचल गठन के पश्चात् व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को विद्यालयों में बंद करने पर विचार एवं कार्यरत अतिथि विषय विशेषज्ञों का मानदेय भुगतान

46. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के किन इण्टर कॉलेजों में कक्षा 11 व 12 में व्यवसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत नियुक्त अतिथि विषय विशेषज्ञों का मानदेय का भुगतान कब से नहीं किया गया है?

क्या सरकार उत्तरांचल गठन के पश्चात् व्यवसायिक शिक्षा पाठ्यक्रम को इन विद्यालयों में बन्द कर रही है?

यदि नहीं, तो कार्यरत विषय विशेषज्ञों के मानदेय भुगतान के सम्बन्ध में सरकार ने क्या प्राविधान किया है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 1999–2000 से प्रदेश के किसी भी इण्टर कालेजों में व्यवसायिक शिक्षा योजना के अन्तर्गत अतिथि विषय विशेषज्ञों को मानदेय का भुगतान नहीं हो पाया है।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

विषय विशेषज्ञों के मानदेय के भुगतान हेतु भारत सरकार से केन्द्रांश अवमुक्त करने का अनुरोध किया गया है।

जनपद टिहरी घनसाली के रा0उ0मा0 विद्यालय–पटागली एवं कोट बिशन का उच्चीकरण

47. श्री बलबीर सिंह नेगी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद टिहरी गढ़वाल में विधान सभा क्षेत्र घनसाली के रा0उ0मा0 विद्यालय–पटागली एवं कोट बिशन को उच्चीकृत किये जाने का कोई प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

मानकानुसार यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद उत्तरकाशी के रा0इ0का0, बनचौरा, कोटधार (दशगी), श्रीकोट, जोगथ में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों पर नियुक्ति

48. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में पदोन्नत प्रधानाचार्यों को विभिन्न राजकीय इण्टर कॉलेजों में रिक्त प्रधानाचार्यों के पदों पर नियुक्त किया गया है?

यदि हाँ, तो जनपद उत्तरकाशी के राजकीय इण्टर कॉलेज, वनचौरा, कोटधार (दशगी), श्रीकोट, जोगथ में रिक्त प्रधानाचार्य के पदों को न भरने के क्या करण हैं?

उक्त कॉलेजों में प्रधानाचार्यों की नियुक्ति कब तक कर ली जायेगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रधानाचार्य के रिक्त 232 पदों के प्रति 170 पदोन्नतियाँ हुई थी जिनमें से जनपद उत्तरकाशी के 05 रिक्त पदों पर तैनाती की गई। अन्य रिक्त पदों को भरे जाने हेतु अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं थे।

यथाशीघ्र।

प्रदेश में जू0 हाई स्कूलों एवं हाई स्कूलों के उच्चीकरण की स्थिति

49. श्रीमती आशा नौटियाल–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि चालू वर्ष में उत्तरांचल में कितने जूनियर हाई स्कूलों एवं हाई स्कूलों के उच्चीकरण के प्रस्ताव सरकार के विचारधीन हैं?

कब तक इन विद्यालयों का उच्चीकरण किया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

237 जूनियर हाई स्कूलों का हाई स्कूल स्तर पर तथा 161 राजकीय हाई स्कूलों का इण्टर स्तर पर उच्चीकरण के प्रस्ताव शासन के विचाराधीन हैं।

मानकानुसार परीक्षणोपरान्त यथासमय वित्तीय स्थिति के दृष्टिगत्।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मौनपालन को रोजगारपरक बनाने की नीति

50. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि मौनपालन को रोजगारपरक बनाने के लिए सरकार द्वारा कोई नीति बनाई गई है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार नीति की प्रति सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

मौनपालन को रोजगारपरक कार्यक्रम के रूप में विकसित करने हेतु विभिन्न योजनाओं में क्रियान्वयन किया जा रहा है यह क्रिया भी औद्यानिक विकास क्रिया है और नीति निर्धारण में समावेशित है।

प्रदेश की औद्यानिक नीति निर्धारण हेतु गठित समिति द्वारा नीति निर्धारण की कार्यवाही की जा रही है, जिसमें मौनपालन को एक घटक के रूप में सम्मिलित किया जा रहा है, नीति निर्धारण के उपरान्त प्रख्यापन किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

क्षेत्र पंचायतों में कार्य संचालन सम्बन्धी विभिन्न समितियों में ग्राम प्रधानों की सदस्यता

51. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या पंचायत राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्षेत्र पंचायतों में कार्य संचालन सम्बन्धी विभिन्न समितियों में क्षेत्र पंचायत सदस्यों के अतिरिक्त ग्राम प्रधान भी सदस्य होते हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं।

क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 के अन्तर्गत इसका कोई प्राविधान नहीं है।

प्रदेश में कक्षा एक से कक्षा आठ तक की पाठ्य पुस्तकों की उपलब्धता

52. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि प्रदेश में कक्षा एक से आठ तक की पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध नहीं हैं?

यदि हाँ, तो इस अनुपलब्धता का क्या कारण है?

क्या सरकार छात्रहित में पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में कक्षा 1 से 8 तक पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध करा दी गयी हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम सभा धारकोट दश्ज्यूला तल्ला नागपुर स्थित रेशम फार्मों की लाभ–घाटे की स्थिति

53. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कितने राजकीय रेशम उद्यान हैं तथा कितने रेशम उद्यान (फार्म) घाटे में चल रहे हैं?

क्या मंत्री जी को यह भी जानकारी है कि जनपद रुद्रप्रयाग में ग्राम सभा धारकोट दश्ज्यूला, तल्ला नागपुर में स्थित रेशम फार्म घाटे में चल रहा है?

यदि हाँ, तो सरकार इन घाटे में चल रहे रेशम फार्मों के बारे में क्या योजना बनाने जा रही है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

प्रदेश में 71 राजकीय रेशम उद्यान (फार्म) स्थापित हैं। उक्त उद्यान व्यापारिक गतिविधियों से प्रत्यक्ष रूप से नहीं जुड़े हैं वरन् इनके माध्यम से नवीनतम तकनीकी का क्षेत्र में प्रसार, प्रतिहस्तान्तरण, प्रशिक्षण एवं प्रदर्शन आदि कार्यक्रम सम्पादित कराये जाते हैं तथा चॉकीकृत रेशम कीट कृषकों/कीटपालकों को उपलब्ध कराते हुए रेशम कोया तैयार कराया जाता है, जिसका लाभ उन्हें प्राप्त होता है इस प्रकार आय फार्म की नहीं अपितु कीटपालकों की होती है, कीटपालकों के माध्यम से रेशम कोया उत्पादन इन उद्यानों का मूल उद्देश्य है।

सरकार की जानकारी में है कि रुद्रप्रयाग के सन्दर्भित फार्म में पर्याप्त मात्रा में कोया उत्पादित न होने के कारण फार्म के माध्यम से वांछित लक्ष्य अभी प्राप्त नहीं हो रहे हैं।

कृषकों की आय में पर्याप्त वृद्धि कराने के उद्देश्य से रेशम सहकारी समितियों, समूहों की उद्यान प्रबन्धन कार्यों में भागीदारी सुनिश्चित की जा रही है। सम्बन्धित क्षेत्र की जलवायु के आधार पर मैदानी क्षेत्रों में शहतूती रेशम तथा पर्वतीय क्षेत्रों में टसर, ओक

टसर, ऐरी, मूंगा, रेशम उत्पादन से सम्बन्धित गतिविधियों को संचालित कर पौधालय स्थापित करने का निर्णय लिया जा चुका है।

सरकार द्वारा अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ

54. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत कराने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार अशासकीय विद्यालयों में शिक्षकों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने की कार्यवाही करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक इन रिक्त पदों पर नियुक्तियाँ कर दी जायेंगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में जूनियर हाई स्कूलों की 'अ' श्रेणी की मान्यता सम्बन्धी समिति की बैठक

55. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में जूनियर हाई स्कूलों की 'अ' श्रेणी की मान्यता संबंधी कोई समिति गठित है?

यदि हाँ, तो क्या उसकी प्रत्येक वर्ष बैठक होती है?

क्या यह सत्य है कि उक्त समिति की वर्ष 2000 से कोई बैठक नहीं हुई है?

क्या सरकार उक्त समिति की बैठक करवायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

कुमायूं मण्डल में प्रतिवर्ष नियमित रूप से मान्यता समिति की बैठक होती है। किन्तु गढ़वाल मण्डल में 2001 के पश्चात् उक्त समिति की बैठक नहीं हुई है।

उपरोक्तानुसार।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

सेवा निवृत्त हुए बेसिक शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग का लाभ

56. श्री कैलाश शर्मा एवं श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि क्या सरकार पंचम वेतन आयोग द्वारा की गयी सिफारिशों का लाभ उत्तरांचल में वर्ष 2001 में सेवा निवृत्त हुए बेसिक शिक्षकों को भी देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

दिनांक 01–07–2001 से पूर्व सेवा निवृत्त शिक्षकों को पंचम वेतन आयोग की सिफारिशों का लाभ दिये जाने का निर्णय नहीं लिया गया है।

संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों व कर्मचारियों को पंचम वेतनमान का लाभ

57. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के संस्कृत विद्यालयों में कार्यरत अध्यापकों व कर्मचारियों को पंचम वेतनमान का लाभ दिया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

पंचम वेतन आयोग में पद से पद की समानता के आधार पर प्राविधान किये गये हैं।

58. श्री प्रीतम सिंह पंवार– प्रथम मंगल के अता0प्र0 123 में स्थानान्तरित।

संस्कृत विद्यालयों में अध्यापकों के रिक्त पदों पर नियुक्ति

59. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कुल कितने संस्कृत विद्यालय हैं?

क्या यह सत्य है कि इन विद्यालयों में आधे से अधिक अध्यापकों के पद रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो रिक्त पदों को कब तक भर लिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रदेश में कुल 66 संस्कृत विद्यालय हैं।

जी नहीं।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

राजकीय उद्यान रैथल भटवाड़ी उत्तरकाशी को विकसित करने की योजना

60. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय उद्यान रैथल भटवाड़ी उत्तरकाशी को विकसित किए जाने की योजना पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

राजकीय उद्यान रैथल को औद्यानिक विकास हेतु श्री गोविन्दराम लारेन्स रोड नई दिल्ली को लीज पर दिए जाने का निर्णय लिया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के उपाय

61. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये सरकार क्या कदम उठाने जा रही है तथा वर्तमान में सरकार द्वारा उद्यमियों को खादी एवं ग्रामोद्योग लगाने हेतु क्या–क्या सुविधायें मुहैया करायी जा रही हैं?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिये निम्नलिखित कदम उठाये गये हैं :–

(1) वर्तमान में उद्यमियों को खादी एवं ग्रामोद्योग लगाने हेतु सरकार द्वारा क्रमशः ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी योजना) तथा व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना से लाभान्वित किया जा रहा है।

(2) सरकार शीघ्र प्रदेश के 95 विकास खण्डों में ग्रामोद्योग को विकसित करने की दृष्टि से एक सर्वे कराने जा रही है, जिसके आधार पर यह सुनिश्चित किया जायेगा कि

किन–किन विकास खण्डों में कौन सा कच्चा माल उपलब्ध है, तथा उन पर आधारित किस तरह के ग्रामोद्योग वहाँ पर विकसित किये जा सकते हैं।

(3) प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के अन्तर्गत कई वर्ष पूर्व स्थापित केन्द्रों का आधुनिक तकनीक के आधार पर पुनर्गठन किया जा रहा है, जिसमें जसपुर की लोक वस्त्र इकाई, श्रीनगर तथा अल्मोड़ा के प्लान्टों की मरम्मत कर उनको उत्पादन करने योग्य बनाया जा रहा है।

(4) प्रदेश में अधिक से अधिक लोगों को रोजगार मिल सके, इस दृष्टि से ऊन आधारित उद्योगों को बढ़ावा दिया जा रहा है, जिसके तहत स्थानीय भेड़ पालकों (हरसिल) से ऊन खरीद कर, जहाँ एक ओर भेड़ पालन उद्योग को बढ़ावा दिये जाने की योजना है, वहीं दूसरी तरफ ऊन की कताई करके अधिक से अधिक रोजगार दिया जा रहा है, जिसके तहत इस वित्तीय वर्ष में खादी बोर्ड 6.30 लाख की मेरीनो टाप्स खरीद चुका है।

(5) ऊन का काम करने वाले व्यक्तिगत कारीगरों को, स्वयंसेवी संस्थाओं को हर समय हर किस्म का ऊन उपलब्ध रहे, इस दृष्टि से प्रदेश में खादी ग्रामोद्योग आयोग के सहयोग से एक ऊन बैंक स्वीकृत कराया गया है, जिसके तहत रु0 39.00 लाख स्वीकृत भी हो चुका है।

ग्राम पंचायतों का परिसीमन

62. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के परिसीमन के पश्चात् जनपद चमोली की कितनी ग्राम सभाओं को समाप्त कर दिया है?

यदि हाँ, तो उसका आधार क्या है?

श्री प्रीतम सिंह–

6 (छः) ग्राम पंचायतों को समायोजित किया गया है।

उक्त ग्राम पंचायतें निर्धारित मानकों के अन्तर्गत न आने के फलस्वरूप तथा भौगोलिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए निकटवर्ती ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत समायोजित किया गया है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी स्थित उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवाई को सवित्त मान्यता का प्रस्ताव

63. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी में स्थित अशासकीय मान्यता प्राप्त उच्चतर माध्यमिक विद्यालय सिवाई को सवित्त मान्यता देने का प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जाएगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता एवं मानकों के दृष्टिगत यथासमय।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के आली कण्डाई जू0 हाई स्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव

64. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के आली कण्डाई जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त विद्यालय का उच्चीकरण कर दिया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

मानकानुसार एवं वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता होने पर यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राथमिक पाठशालाओं में शिक्षकों के रिक्त पदों के अनुरूप विशिष्ट बी0टी0सी0 के पदों को बढ़ाने पर विचार

65. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि उत्तरांचल में लगभग आठ हजार शिक्षकों के पद प्राथमिक पाठशालाओं में रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार विशिष्ट बी0टी0सी0 के पद ढाई हजार से बढ़ाकर सात हजार करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रदेश के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों के कुल 3868 पद रिक्त हैं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति प्रकरण विचाराधीन नहीं है।

जनपद चमोली के कर्णप्रयाग में स्थित लंगासू इ0का0 में विज्ञान संकाय खोलने का प्रस्ताव

66. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के कर्णप्रयाग विकास खण्ड में स्थित लंगासू इण्टर कालेज में विज्ञान संकाय खोलने का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक इस पर निर्णय हो जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्नगत विद्यालय में विज्ञान वर्ग पूर्व से ही संचालित है।

1995–96 प्रा0वि0 में नियुक्त बी0एड0, एल0टी0 अभ्यर्थियों को एल0टी0 संवर्ग में समायोजित करने पर विचार

67. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि 1995–96 में बी0एड0, एल0टी0 के जिन अभ्यर्थियों को प्राथमिक विद्यालयों में नियुक्ति प्रदान की गयी थी, क्या सरकार उन्हें एल0टी0 में समायोजित करने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक निर्णय ले लिया जायेगा?

यदि नहीं तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई नीति निर्धारित नहीं है।

प्रदेश में क्रमोत्तर विद्यालय। को जूनियर हाई स्कूल का दर्जा देने पर विचार

68. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में कितने क्रमोत्तर विद्यालय कब से चल रहे हैं?

क्या सरकार इन क्रमोत्तर विद्यालयों को जू0हा0 स्कूल का दर्जा देने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

उत्तरांचल में कुल 89 क्रमोत्तर विद्यालय वर्ष 1974 से संचालित हैं।

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बागेश्वर के प्राइमरी पाठशाला वास्ती से सेवा निवृत मृतक श्री रणजीत सिंह प्रधानाध्यापक की अवशेष राशि तथा पेंशन भुगतान

69. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि प्राइमरी पाठशाला वास्ती पो0 सनगाड़, तहसील कपकोट, जनपद बागेश्वर से रणजीत सिंह, प्रधानाध्यापक पद से 31 जुलाई, 1978 को सेवा निवृत्त हुए थे तथा 16 फरवरी, 1979 को उनकी मृत्यु हो गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने उनके सेवाकाल का अवशेष भुगतान व उनकी धर्मपत्नी को पेंशन भुगतान किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

उनके सेवाकाल के देयकों का भुगतान कर दिया गया है। पेंशन का भुगतान नहीं किया जा रहा है।

क्योंकि लाभत्रीय योजना के अन्तर्गत पारिवारिक पेंशन अनुमन्य नहीं है।

जनपद बागेश्वर राजकीय हाई स्कूल, बन्तोली का उच्चीकरण

70. श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राजकीय हाई स्कूल, बन्तोली विकास खण्ड गरूड़–बैजनाथ जनपद बागेश्वर का उच्चीकरण करने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

मानकानुसार वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत् यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के विकास खण्ड के पगना जू0 हाई स्कूल का उच्चीकरण

71. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट के पगना जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त प्रस्ताव पर निर्णय ले लिया जायेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्व शिक्षा के अन्तर्गत जनपद चमोली के वि0 ख0 घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी में प्राथमिक विद्यालयों का चयन

72. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि सर्व शिक्षा के तहत जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी में किन–किन विद्यालयों का चयन किया गया है?

क्या सर्व शिक्षा के तहत नये प्राथमिक विद्यालयों का भी प्राविधान है?

यदि हाँ, तो ऐसे विद्यालय उक्त विकास खण्डों में कहां–कहां खोले जाने का प्रस्ताव है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत जनपद चमोली के विकास खण्ड घाट, कर्णप्रयाग एवं पोखरी में निम्न विद्यालयों का चयन किया गया है।

विकास खण्ड घाट

प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1. सुगड़	1. चुपलाकोट स्यारी बंगाली
2. फराणखिला	2. वादूक
3. कुमजुग	

विकास खण्ड पोखरी

प्राथमिक	उच्च प्राथमिक
1. सिराऊ	1. मिरोथधार
2. मैठाणाकुजासू	2. तोणजी
3. थाला	3. गुणम मसौली
4. खाण्डसू	

विकास खण्ड कर्णप्रयाग

1. पंखोली	1. ऐरवाड़ी
2. नन्दनपुर	2. ढ़मढंमा
3. कुनेथ	3. जस्यारा
4. पारतोली	

जी हाँ।

उपरोक्तानुसार।

73. श्री मातबर सिंह कण्डारी– प्रथम सोम0 के अता0प्र0 104 में स्थानान्तरित।

74. श्री प्रीतम सिंह पंवार– प्रथम सोम0 के अता0प्र0 105 में स्थानान्तरित।

75. श्री मातबर सिंह कण्डारी– प्रथम सोम0 के अता0प्र0 106 में स्थानान्तरित।

जनपद पिथौरागढ़ के रा0इ0का0, थल के जीर्ण–शीर्ण भवन की मरम्मत

76. श्री बिशन सिंह चुफाल–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि रा0इ0का0, थल पिथौरागढ़ का एक मंजिला भवन अत्यन्त जीर्ण–शीर्ण अवस्था में है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार छात्र हित में अविलम्ब उक्त भवन की मरम्मत हेतु धन उपलब्ध करायेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

प्रस्ताव प्राप्त होने पर।

प्रश्न नहीं उठता।

77. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी– प्रथम सोम0 के अता0प्र0 107 में स्थानान्तरित।

जनपद उत्तरकाशी में आलू विकास एवं शाक–भाजी कार्यालय स्यानाचट्टी का स्थानान्तरण

78. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद उत्तरकाशी में आलू एवं शाक–भाजी कार्यालय स्यानाचट्टी नौगांव में अवस्थित था?

यदि हाँ, तो उक्त कार्यालय का मुख्यालय स्थानान्तरित करने का क्या औचित्य है?

क्या उक्त कार्यालय को स्यानाचट्टी नौगांव में खोला जायेगा?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

आलू एवं शाक–भाजी विकास अधिकारी का कार्यालय पूर्व से ही जिला मुख्यालय उत्तरकाशी में अवस्थित है, पुनर्गठित औद्यानिकी निदेशालय में यमुना घाटी के नाम पर इसे यहीं पर स्थापित रखा गया है।

उद्यान विभाग में निदेशक की नियुक्ति

79. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि उद्यान विभाग का निदेशक किसी आई0एफ0एस0 को बनाया गया है?

यदि हाँ, तो पूर्व की भांति क्या किसी उद्यान विशेषज्ञ को उद्यान निदेशक बनाया जायेगा?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

जी नहीं।

उद्यान विभाग की सेवा नियमावली के अनुसार निचले संवर्ग से पद उपलब्ध न होने की स्थिति में प्रतिनियुक्ति पर निदेशक की तैनाती की व्यवस्था की जा सकती है। वर्तमान में निदेशक से निचले संवर्ग (अपर निदेशक) के पद पर किसी भी अधिकारी की तैनाती नहीं है।

वर्ष 2003 में गढ़वाल मण्डल में एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितता

80. श्री प्रकाश पंत–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि अगस्त, 2003 में मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक, गढ़वाल मण्डल, पौड़ी गढ़वाल द्वारा किये गये एल0टी0 शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया में अनियमितताओं की शिकायतों को लेकर डी0पी0एड0/बी0पी0एड0 प्रशिक्षित बेरोजगार महासंघ आन्दोलनरत हैं?

यदि हाँ, तो उनकी मांगें क्या हैं?

क्या सरकार उनकी मांगों पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

एल0टी0 शिक्षकों के पदों पर नियुक्ति।

जी हाँ, सम्प्रति प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

नियमानुसार यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

81. श्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत– विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

प्रदेश की फलोद्योग नीति

82. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार फलोद्योग लगाने के लिए कोई नीति बनाने जा रही है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

फलोद्योग का विकास औद्यानिक विकास नीति के अन्तर्गत ही क्रियान्वित किया जा रहा है अतः इस हेतु पृथक से नीति निर्धारण की आवश्यकता नहीं समझी गई।

रोहतक से बी0एड0 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की मान्यता

83. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या–14/8/86 नियुक्ति दिनांक 29 अगस्त, 1986 में रोहतक के बी0एड0 धारक अभ्यर्थी भी प्रदेश में बी0एड0/एल0टी0 हेतु आवेदन कर सकते हैं?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों के मानदेय का भुगतान

84. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश में कार्यरत शिक्षा मित्रों का कितनी अवधि का मानदेय भुगतान हो चुका है और किस अवधि से मानदेय का भुगतान बाकी है?

बकाया राशि का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद हरिद्वार, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंह नगर में माह मई, 2003 तक, पिथौरागढ़ एवं चम्पावत में माह अगस्त, 2003 तक मानदेय का भुगतान किया गया है शेष जनपदों में माह अक्टूबर, 2003 तक मानदेय का भुगतान किया जा चुका है।

जनपद हरिद्वार, अल्मोड़ा एवं ऊधमसिंह नगर में जुलाई, 2003 से एवं पिथौरागढ़, चम्पावत में सितम्बर, 2003 से मानदेय का भुगतान किया जाना बाकी है।

यथाशीघ्र।

85. डा0 अनुसूया प्रसाद मैखुरी– प्रथम बुधवार के अता0 प्र0 62 में स्थानान्तरित।

जनपद चमोली के रा0इ0 कॉलेज, नन्दप्रयाग को भवन निर्माण हेतु आवंटित धनराशि

86. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि रा0इ0 कॉलेज, नन्दप्रयाग चमोली को वित्तीय वर्ष 2003–04 में भवन निर्माण हेतु धनराशि निर्गत की गयी है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

राज्य में युवा कल्याण नीति

87. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खेलकूद एवं युवा कल्याण मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में युवा कल्याण नीति बनाने की सरकार की कोई योजना है?

यदि हाँ, तो युवा कल्याण नीति कब तक घोषित कर ली जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

वर्तमान में राज्य के लिये युवा कल्याण नीति बनाये जाने की योजना विचाराधीन नहीं है।

राज्य गठन के उपरांत यद्यपि अलग युवा कल्याण विभाग का गठन किया जा चुका है तथापि ग्राम स्तर तक युवा कल्याण से सम्बन्धित संस्थाओं, युवक/महिला मंगल दलों एवं जनपद व राज्य स्तर पर ऐसे संगठनों द्वारा इस सम्बन्ध में अलग से नीति बनाये जाने हेतु अभी तक प्रस्ताव नहीं किया है।

राज्य में फलों का उत्पादन बढ़ाने हेतु फल पट्टियाँ विकसित करने की योजना

88. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि राज्य में फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों में फल पट्टियाँ विकसित करने की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो इस पर कार्य प्रारम्भ किया जा चुका है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

विभाग में चयनित क्षेत्रों में फलों एवं फल पट्टियों के समन्वित विकास की योजना जिला योजना के अन्तर्गत पूर्व से ही क्रियान्वित है।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पर्वतीय सीमान्त व कमजोर वर्ग हेतु कार्ययोजना तथा विभिन्न उद्यमियों व संस्थाओं को जनपदवार वित्तपोषण

89. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री यह बताने का कष्ट करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पर्वतीय/सीमान्त व कमजोर वर्ग हेतु क्या कार्य योजना बनायी गयी है? विगत दो वर्षों में कितने उद्यमियों व संस्थाओं को जनपदवार वित्त पोषित किया गया?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा पर्वतीय, सीमान्त व कमजोर वर्ग हेतु ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (मार्जिन मनी आर्थिक अनुदान) व व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना संचालित की जा रही है। उत्तरांचल के सभी जनपदों में वित्तीय वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में ग्रामीण रोजगार सृजन योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार वित्त पोषित किया गया :–

क्र0सं0	जनपद	वित्त पोषित इकाईयों की संख्या
1.	पौड़ी	41
2.	टिहरी	39
3.	उत्तरकाशी	73
4.	चमोली	103
5.	रुद्रप्रयाग	37
6.	देहरादून	67
7.	हरिद्वार	42
8.	नैनीताल	51
9.	ऊधमसिंह नगर	34
10.	अल्मोड़ा	40
11.	बागेश्वर	31
12.	पिथौरागढ़	43
13.	चम्पावत	11

इसके अतिरिक्त वर्ष 2002–03 एवं 2003–04 में व्यक्तिगत उद्यमियों को ब्याज उपादान योजना के अन्तर्गत निम्नानुसार वित्त पोषित किया गया :–

क्र0सं0	जनपद	वित्त पोषित इकाईयों की संख्या
1.	पौड़ी	14
2.	टिहरी	31
3.	उत्तरकाशी	29
4.	चमोली	37
5.	रुद्रप्रयाग	19
6.	देहरादून	12
7.	हरिद्वार	22
8.	नैनीताल	09
9.	ऊधमसिंह नगर	03
10.	अल्मोड़ा	03
11.	बागेश्वर	02
12.	पिथौरागढ़	13
13.	चम्पावत	01

प्रश्न नहीं उठता।

खादी ग्रामोद्योग बोर्ड के मृत पड़े केन्द्रों को पुनर्जीवित करने की योजना

90. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या खादी एवं ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि खादी ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा चलायी जा रही सभी इकाईयाँ लगभग बन्द हो चुकी हैं?

जिस कारण भेड़पालकों, कातिनों, बुनकरों के रोजगार छिन गये हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार खादी ग्रामोद्योग के मृत पड़े केन्द्रों को पुनर्जीवित करने हेतु कोई योजना बना रही है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता है।

सरकार द्वारा उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड विभाग व वूल बैंक के माध्यम से राजकीय भेड़पालकों, कातिनों व बुनकरों को परोक्ष रूप से ऊन का क्रय करके रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा है। इसके अतिरिक्त सीमान्त जनपदों के भेड़पालकों से ऊन क्रय करने हेतु कमेटी का गठन किया गया है। भारत सरकार खादी ग्रामोद्योग आयोग

द्वारा सहायतित योजना के अन्तर्गत बोर्ड द्वारा वूल बैंक की स्थापना की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता है।

विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु पूर्ण-कालिक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति

91. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि विद्यालयों में कम्प्यूटर प्रशिक्षण हेतु शिक्षकों को केवल 15 दिन का प्रशिक्षण प्राप्त करने पर "मास्टर ट्रेनर" नियुक्त किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार मास्टर ट्रेनरों द्वारा प्रशिक्षण विद्यार्थियों को समुचित कम्प्यूटर शिक्षा प्रदान कर देगी?

यदि नहीं, तो क्या सरकार सम्पूर्ण-कालिक कम्प्यूटर शिक्षकों की नियुक्ति करने पर विचार करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक उक्त नियुक्तियाँ कर ली जायेंगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

सम्प्रति प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी स्थित प्रा0वि0 ब्राह्मण थाला का पुनर्निर्माण

92. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी स्थित प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मण थाला वर्ष 1999 में आये भूकम्प के कारण क्षतिग्रस्त हो गया था?

यदि हाँ, तो क्या सरकार ने इस विद्यालय के पुनर्निर्माण के लिए कोई धनराशि अवमुक्त की है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी नहीं।

सर्व शिक्षा अभियान के अन्तर्गत प्राथमिक विद्यालय ब्राह्मण थाला के भवन निर्माण का वर्ष 2003–04 के लिए प्रस्ताव किया गया है।

स्पोर्टस हास्टलों में प्रवेश का आधार एवं प्रदेश के छात्राओं का प्रतिशत

93. श्री नारायण सिंह जंतवाल–

क्या खेल मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के स्पोर्टस हॉस्टलों में प्रवेश का क्या आधार है?

उपरोक्त आधार पर हमारे प्रदेश के कितने प्रतिशत छात्र, छात्राऐं इन हॉस्टलों में हैं?

क्या सरकार इस प्रतिशत को बढ़ाने पर विचार करेगी?

श्री प्रीतम सिंह–

प्रदेश के स्पोर्टस हॉस्टलों में चयन हेतु सर्वप्रथम जनपद स्तर पर सम्बन्धित खेल की चयन प्रतियोगिता आयोजित की जाती है। जनपद स्तर पर चयनित खिलाड़ियों द्वारा राज्य स्तर की चयन प्रक्रिया में भाग लेना होता है एवं राज्य स्तर पर गठित उच्च स्तरीय चयन समिति द्वारा एक मेरिट सूची तैयार की जाती है एवं इसके आधार पर ही प्रवेश दिया जाता है। स्पोर्टस हॉस्टल में प्रवेश हेतु न्यूनतम आयु 16 वर्ष या उससे कम रखी गई है।

इन छात्रावासों में प्रदेश के 75 प्रतिशत छात्र हैं।

प्रदेश के बाहर के पूर्व में चायनित छात्र, जो स्पोर्टस हॉस्टल में शिक्षण व प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, उनके शिक्षण/प्रशिक्षण के समाप्त हो जाने के उपरांत प्रदेश के ही छात्रों को उनके स्थान पर प्रवेश दिया जाना है एवं इस प्रकार भविष्य में प्रदेश के ही छात्र छात्रावासों में प्रवेश प्राप्त करेंगे।

प्रदेश में जिला पंचायत राज अधिकारी के खाली पदों को भरना

94. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या पंचायती राज मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के कितने जनपदों में जिला पंचायत राज अधिकारी के पद खाली पड़े हैं?

इन पदों को भरने के लिए सरकार क्या कार्यवाही कर रही है?

श्री प्रीतम सिंह–

जिला पंचायत राज अधिकारियों के प्रदेश में स्वीकृत 13 पदों के सापेक्ष 7 पद रिक्त हैं।

सीधी भर्ती के रिक्त पदों के चयन हेतु अधियाचन लोक सेवा आयोग को भेजा गया है।

व्यायाम शिक्षक (एल0टी0) की नियुक्ति में हुई कथित अनियमितताओं की जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की माँग

95. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि व्यायाम शिक्षक (एल0टी0) की नियुक्ति में हुई कथित अनियमितताओं की जाँच अपर सचिव शिक्षा को सौंपी गयी थी?

यदि हाँ, तो क्या अपर सचिव ने अपनी जाँच रिपोर्ट शासन को सौंप दी है?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उस जाँच रिपोर्ट की प्रति सदन के पटल पर रखेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

जॉच आख्या सम्प्रति परीक्षाणाधीन है।

श्री विरेन्द्र बहादुर प्रवक्ता अंग्रेजी रा0इ0का0, थत्यूड़ जिला टिहरी की सम्बद्धता उ0प्र0 सचिवालय से समाप्त करने की मांग

96. श्री प्रीतम सिंह पंवार–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि श्री विरेन्द्र बहादुर प्रवक्ता अंग्रेजी राजकीय इण्टर कॉलेज, थत्यूड़ जिला टिहरी गढ़वाल वर्ष 1998 से उत्तर प्रदेश सचिवालय, लखनऊ से सम्बद्ध हैं?

क्या उक्त कर्मचारी का वेतन उक्त विद्यालय से आहरित किया जा रहा है?

यदि हाँ, तो उक्त प्रवक्ता को मूल तैनाती स्थल में कब तक लाया जायेगा?

क्या सरकार इस प्रकरण की जाँच करायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

जी नहीं।

जाँच का कोई बिन्दु निहित नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग में वर्ष 1999 में भूकम्प से क्षतिग्रस्त विद्यालयों के भवनों के नव–निर्माण की कार्य योजना

97. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि भूकम्प से वर्ष 1999 में जनपद रुद्रप्रयाग में कितने इण्टर कालेज तथा रा0उ0मा0वि0 भवन क्षतिग्रस्त हुए?

सरकार ने इन क्षतिग्रस्त विद्यालय भवनों के नव–निर्माण एवं मरम्मत के लिए कोई कार्य योजना बनायी है?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

वर्ष 1999 में जनपद रुद्रप्रयाग में भूकम्प से 42 इण्टर कॉलेज तथा 24 हाई स्कूल के भवन क्षतिग्रस्त हुए।

जी हाँ।

प्रदेश में उर्दू बी0टी0सी0 के रिक्त पदों पर नियुक्ति.

98. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तरांचल में उर्दू बी0टी0सी0 के पद वर्तमान में रिक्त चल रहे हैं?

यदि हाँ, तो कितने?

क्या सरकार रिक्त पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया प्रारम्भ करने जा रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं। उर्दू विषय में बी0टी0सी0 प्रशिक्षण की व्यवस्था नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उर्दू के रिक्त पदों पर नियुक्ति हेतु नियुक्तियां विचाराधीन है।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के अन्तर्गत रा0इ0का0, नैनीसैंड कण्डारा में विभिन्न रिक्त पदों पर नियुक्ति की मांग

99. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री अवगत हैं कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत रा0इ0 कॉलेज, नैनीसैंड कण्डारा में वर्तमान में चार प्रवक्ता, दो सहायक अध्यापकों सहित वरिष्ठ लिपिक दफ्तरी, परिचारक एवं सफाई कर्मचारी के पद विगत वर्ष से रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार इन पदों पर शीघ्र तैनाती करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

जी हाँ।

यथासमय।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली के अन्तर्गत नैनीसैंड कण्डारा में कन्या हाई स्कूल खोलने पर विचार

100. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत नैनीसैंड कण्डारा में कन्या हाई स्कूल खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जनपद रुद्रप्रयाग के निर्धारित मानक पूर्ण करने वाले जू0हा0 स्कूलों का उच्चीकरण

101. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग से जूनियर हाई स्कूल हड़ेतीखाल, लौंगा सकलना लस्या, कोटी लस्या, बीरौंघनपुर, बरसिर लस्या तथा रा0उ0मा0वि0

पाँजणा सिलगढ़, जयन्ती कोठियाड़ा (लस्या), ग्वाड़पीड़ा धनपुर, बरसूड़ी (बछणस्यूँ), टैढी (बछणस्यूँ), त्यूखर (लस्या), चौरिया (भरदार) के उच्चीकरण के प्रस्ताव शासन स्तर पर लम्बित हैं?

यदि हाँ, तो उक्त विद्यालयों में से निर्धारित मानक पूरे करने वाले विद्यालयों का उच्चीकरण सरकार कब तक करेगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत् यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में रा0उ0मा0वि0 एवं इ0का0 के जीर्ण–शीर्ण भवनों की मरम्मत

102. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि रुद्रप्रयाग विधान सभा क्षेत्र में कितने रा0उ0मा0वि0 एवं इण्टर कालेजों के भवन जीर्ण–शीर्ण अवस्था में हैं?

क्या सरकार इन भवनों की मरम्मत करवाने का प्रबन्ध करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जनपद रुद्रप्रयाग में 06 राजकीय इण्टर कालेज तथा 02 राजकीय हाई स्कूल के भवन जीर्ण–क्षीर्ण अवस्था में हैं।

जी हाँ।

यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रुद्रप्रयाग व चमोली में माल्टा की खरीद की व्यवस्था

103. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि जनपद रुद्रप्रयाग व चमोली में माल्टा की खरीद हेतु सरकार क्या कोई व्यवस्था कर रही है?

यदि हाँ, तो क्यों?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ।

प्रदेश सरकार के द्वारा निजी/सहकारी संस्थाओं के माध्यम से माल्टा की खरीद की व्यवस्था की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में रा0इ0 कालेजों में प्रधानाचार्यों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों की संख्या एवं इन पर नियुक्ति

104. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश के राजकीय इण्टर कॉलेजों में प्रधानाचार्यों एवं प्रवक्ताओं के रिक्त पदों पर नियुक्ति के लिए सरकार क्या कदम उठाने जा रही है?

क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वर्तमान समय में रा0इ0 कॉलेजों में कितने प्रधानाचार्यों एवं प्रवक्ताओं के पद रिक्त पड़े हैं तथा कब तक उक्त पदों को भर दिया जायेगा?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

प्रधानाचार्यों के पदोन्नति कोटे के 170 रिक्त पदों पर पदोन्नतियाँ की जा चुकी हैं प्रवक्ता के सीधी भर्ती के पदों पर चयन हेतु लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञप्ति निर्गत की जा चुकी है। प्रवक्ता के पदोन्नति के पदों पर कार्यवाही गतिमान है।

राजकीय इण्टर कालेजों में वर्तमान में प्रधानाचार्य के 248 पद तथा प्रवक्ता के 2193 पद रिक्त हैं। रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही गतिमान है।

जनपद चमोली के वि0ख0 कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पूर्व मा0वि0 बणसोली में रिक्त अध्यापकों के पदों पर नियुक्ति

105. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री को ज्ञात है कि जनपद चमोली के विकास खण्ड कर्णप्रयाग के अन्तर्गत पूर्व माध्यमिक विद्यालय, बणसोली में सहायक अध्यापक गणित एवं विज्ञान के पद विगत तीन वर्षों से रिक्त हैं?

यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में सम्बन्धित विषयों के अध्यापकों की नियुक्ति करेगी?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सम्प्रति पद रिक्त नहीं हैं।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के ग्राम पंचायत आली के जू0हा0 स्कूल का उच्चीकरण

106. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि विकास खण्ड पोखरी जनपद चमोली के ग्राम पंचायत आली के सन् 1972 से स्वीकृत जूनियर हाई स्कूल के उच्चीकरण का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है?

यदि हाँ, तो उच्चीकरण की कार्यवाही कब तक होगी?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

वित्तीय संसाधनों के दृष्टिगत् मानकानुसार परीक्षणोपरान्त यथाशीघ्र।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली वि0ख0 पोखरी में ग्राम सभा भिकोना में कन्या जू0 हाई स्कूल खोलने की माँग

107. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम सभा भिकोना में कन्या जूनियर हाई स्कूल की स्वीकृति दी गयी है?

यदि हाँ, तो उक्त स्थान पर विद्यालय न खोले जाने के क्या कारण हैं?

क्या सरकार जनहित में भिकोना में शीघ्र जूनियर हाई स्कूल खोलने पर विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

स्थानीय जनता की मांग पर स्वीकृत कन्या जूनियर हाई स्कूल के स्थान पर जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

ग्राम भिकोना में जूनियर हाई स्कूल स्थापित किया जा चुका है।

जनपद चमोली के वि0ख0 पोखरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नैल–नौली के बीचागाड़ पर पुल की मांग

108. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली के विकास खण्ड पोखरी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत नैल–नौली के बीचागाड़ पर 12 मी0 स्थान की आर0सी0सी0 पुल निर्माण हेतु रु0 2.50 लाख का प्राविधान 11वें वित्त आयोग की कार्ययोजना में प्रस्तावित कर शासन को भेजा गया है?

यदि हाँ, तो उक्त योजना को शासन स्तर पर स्वीकृत कर धनराशि मुहैया करा दी गयी है?

यदि हाँ, तो कब?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं। वित्त विभाग से सीधे एकमुश्त धनराशि जनपदों को जनसंख्या के आधार पर आवंटित की गयी है। योजनाओं का चयन जिला स्तर पर किया जाता है।

किसी योजना विशेष हेतु धनराशि शासन स्तर से आवंटित नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रश्न नहीं उठता है।

उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुरूप सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों को पुराने वेतनक्रम के अनुसार लाभ की मांग

109. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि उत्तर प्रदेश सरकार के शासनादेशों के अनुरूप सेवानिवृत्त माध्यमिक शिक्षकों को 1996 से पुराने वेतनक्रम में नियत पेंशन पर निर्धारित वेतन वृद्धि देने का विचार करेंगे?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सम्प्रति प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ऊधमसिंह नगर के पन्तनगर कन्या इ0 कालेज में छात्राओं के बैठने की व्यवस्था

110. श्री प्रेमानन्द महाजन–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर में छात्राओं के बैठने की समुचित व्यवस्था है?

यदि नहीं, तो क्यों और कब तक इसकी समुचित व्यवस्था कर दी जाएगी?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

राजकीय कन्या इण्टर कॉलेज, पंतनगर, ऊधमसिंह नगर में छात्राओं के बैठने के लिए समुचित व्यवस्था है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चमोली में विकास खण्डवार, 11वें वित्त आयोग हेतु प्रस्तावित योजनायें

111. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या पंचायती राज मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि जनपद चमोली में विकास खण्डवार, 11वें वित्त आयोग हेतु किन–किन योजना के प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुये हैं?

क्या सरकार द्वारा प्रस्तावित योजनाओं के लिए धनराशि अवमुक्त कर दी गयी है?

यदि हाँ, तो क्या स्वीकृत योजनाओं पर कार्य प्रारम्भ कर दिया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री प्रीतम सिंह–

जी नहीं। ग्यारहवें वित्त आयोग के प्रस्ताव शासन को प्राप्त नहीं होते हैं तथा विकास खण्डों को कोई धनराशि भी शासन द्वारा अवमुक्त नहीं की जाती है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वशिक्षा के अन्तर्गत जनपदवार प्राथमिक एवं जू0 विद्यालयों को खोलने का प्रस्ताव एवं इनके मानक

112. श्री महेन्द्र भट्ट–

क्या शिक्षा मंत्री बतलाने का कष्ट करेंगे कि सर्वशिक्षा के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में जनपदवार कुल कितने प्राथमिक एवं जूनियर विद्यालयों को खोलने के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की गयी है तथा स्वीकृति प्रदान किये जाने के क्या मानक हैं?

क्या सरकार द्वारा इन विद्यालयों की संस्तुति के लिए जिला स्तर पर किस कमेटी का गठन किया गया है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

सर्वशिक्षा अभियान के अन्तर्गत वर्तमान वर्ष में 98 नवीन प्राथमिक विद्यालय तथा 139 नवीन जूनियर हाई स्कूल स्वीकृत हुए हैं। नये विद्यालय खोलने के मानक निम्नवत् हैं:–

प्राथमिक विद्यालय–

1. ग्राम सभा की जन संख्या 250 होनी चाहिए।
2. 06 से 14 वय वर्ग के कम से कम 40 छात्र संख्या हो।
3. 01 किमी0 की परिधि में कोई विद्यालय न हो।

उच्च प्राथमिक विद्यालय–

1. दो प्राथमिक विद्यालयों के मध्य एक जूनियर हाई स्कूल न हो।
2. विद्यालय में पढ़ने वाले कम से कम 40 बच्चे हों।

जिला स्तर पर जिला शिक्षा परियोजना समिति का गठन किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

राज्य में राजकीय शिक्षक संघ को मान्यता

113. श्री प्रकाश पन्त–

क्या शिक्षा मंत्री बतायेंगे कि राज्य में राजकीय शिक्षक संघ को मान्यता देने पर सरकार विचार कर रही है?

यदि हाँ, तो कब तक?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी हाँ।

यथासमय,

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्तियों में अनियमिततायें

114. श्री हरबंस कपूर–

क्या शिक्षा मंत्री के संज्ञान में है कि प्रदेश में व्यायाम शिक्षकों की नियुक्तियों में मानकों का अनुपालन नहीं किया गया है?

यदि हाँ, तो अनियमिततायें बरतने वालों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी?

यदि नहीं, तो क्यों नहीं?

श्री नरेन्द्र सिंह भण्डारी–

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश सरकार द्वारा जनपद रुद्रप्रयाग के ब्लाकों में चाय बागान लगाने की प्रक्रिया

115. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या उद्यान मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार द्वारा चाय बागान लगाने के लिए कोई नीति बनाई गई है?

क्या सरकार चाय बागान विकसित करने के लिए टी बोर्ड से कोई समझौता करने जा रही है?

क्या प्रदेश सरकार ने गढ़वाल मण्डल के अन्तर्गत जनपद रुद्रप्रयाग के कुछ ब्लाकों में चाय बागान लगाने की प्रक्रिया शुरू की थी?

यदि हाँ, तो सरकार द्वारा उक्त प्रक्रिया का कोई प्रारूप बनाया गया है?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

जी हाँ, चाय विकास परियोजना के अन्तर्गत प्रदेश में 433 हेक्टेयर में चाय बागान विकसित किए जाने की योजना बनाई गई है।

कोई समझौता विचाराधीन नहीं है।

जी हाँ, उत्तरांचल में चाय विकास की व्यापक सम्भावनाओं को देखते हुए जनपद

रुद्रप्रयाग के जखोली एवं भिलंगना विकास खण्डों में चाय बागान लगाने हेतु मृदा परीक्षण कार्य प्रारम्भ किया गया था किन्तु पर्याप्त भूमि उपलब्ध न होने के कारण यह प्रक्रिया स्थगित कर दी गई।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में ग्रामोद्योग को प्रोत्साहन देने हेतु योजना

116. श्री मातबर सिंह कण्डारी–

क्या खादी ग्रामोद्योग मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि प्रदेश सरकार ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये कोई योजना बनाने जा रही है?

क्या केन्द्र सरकार से मिलने वाले अनुदान का सदुपयोग किया जा रहा है?

यदि नहीं, तो क्यों?

श्री गोविन्द सिंह कुंजवाल–

उत्तरांचल खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड द्वारा ग्रामोद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये व्यक्तिगत ब्याज उपादान योजना व ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम संचालित किये जा रहे हैं। इसके साथ–साथ राष्ट्रीय व प्रदेश स्तरीय विभिन्न मेले व प्रदर्शनियों में उद्यमियों के उत्पादों के प्रचार–प्रसार व बिक्री बढ़ाने में प्रोत्साहित किया जा रहा है, तथा कच्चे माल की उपलब्धता एवं विपणन का सर्वेक्षण विकास खण्ड स्तर पर कराया जा रहा है, जिससे राज्य में कच्चे माल पर आधारित उद्योगों की स्थापना को बल मिलेगा, साथ ही उत्पादित माल की निकासी हेतु विपणन की सुचारू व्यवस्था होगी।

जी हाँ।

प्रश्न ही नहीं उठता।

(सदन की कार्यवाही 1.00 बजे श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में पुनः प्रारम्भ हुई)

श्री अध्यक्ष–

कृपया आसन ग्रहण करें।

(मा0 श्री मातबर सिंह कण्डारी, नेता प्रतिपक्ष को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारे लगाने लगे : भू–अध्यादेश वापस लो–वापस लो, काला कानून वापस लो–वापस लो आदि। उत्तराखण्ड क्रान्ति दल के सभी माननीय सदस्य अपने–अपने स्थान पर खड़े होकर नारे लगाने लगे : भू–अध्यादेश को सख्ती से लागू करो, भू–माफियाओं को उत्तरांचल से भगाओ आदि।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल सरकार का 31–03–2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष का भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन (सिविल) का शुद्धि–पत्र

संसदीय कार्यमंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) उत्तरांचल सरकार का शुद्धि–पत्र सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल सरकार के वर्ष 2001–2002 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन वित्तीय वर्ष 2001–2002 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे उत्तरांचल सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल सरकार का वित्तीय वर्ष 2000–2001(9 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक) विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (9 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक) उत्तरांचल सरकार का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तर प्रदेश सरकार का वित्तीय वर्ष 2000–2001(1 अप्रैल 2000 से 8 नवम्बर 2000 तक) के विनियोग लेखे

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–151 के खण्ड (2) के अधीन वित्तीय वर्ष 2000–2001 के विनियोग लेखे उत्तर प्रदेश सरकार (1 अप्रैल, 2000 से 8 नवम्बर, 2000 तक) का प्रतिवेदन सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का प्रथम सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 2002

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–323 के खण्ड (2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग का प्रथम सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन 2002 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003

*पंचायती राजमंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश, 2003

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) अध्यादेश,, 2003 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003

परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

---

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) अध्यादेश, 2003 को सदन के पटल पर रखती हूँ।

(माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डेय ने माननीया संसदीय कार्य मंत्री के हाथ से पत्रादि छीने तथा उन्हें फाड़कर फेंक दिया)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

श्रीमन्, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल विनियोग विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 जून, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का तेरहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश राज्य अधिनियम, 1973) अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001 (संशोधन) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 26 जून, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का चौदहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पेट्रोलियम एवम् ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि पेट्रोलियम एवं ऊर्जा अध्ययन विश्वविद्यालय विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का पन्द्रहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि इक्फाई विश्वविद्यालय (इन्स्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड फाइनेन्शियल ऐनलिस्ट्स ऑफ इण्डिया यूनिवर्सिटी) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा दिनांक 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई, 2003 को प्राप्त हो गयी और वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का सोलहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से घोषणा करता हूँ कि हिमगिरी नभ विश्वविद्यालय (यूनिवर्सिटी इन द स्काई) विधेयक, 2003 जो विधान सभा द्वारा 24 जून, 2003 को पारित किया गया था, पर महामहिम श्री राज्यपाल की अनुमति दिनांक 2 जुलाई, 2003 को प्राप्त हो गई वह उत्तरांचल का वर्ष 2003 का सत्रहवां अधिनियम बन गया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(मद संख्या–16, मद संख्या–17, मद संख्या–18, मद संख्या–19, मद संख्या–20, मद संख्या–21,मद संख्या–22, मद संख्या–23, मद संख्या–24, मद संख्या–25 एवं मद संख्या–26 पर याचिकाकर्ता माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्यों ने याचिका उपस्थित नहीं की।)

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य श्री अरविन्द पाण्डे रिपोर्टर्स टेबल को थपथपाने तथा जोर–जोर से हिलाने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

मैं मार्शल, विधान सभा को निर्देशित करता हूँ कि वे माननीय सदस्यों को नियंत्रित करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य मार्शल, विधान सभा एवं रक्षकों के साथ धक्का–मुक्की करने लगे।)

श्री अध्यक्ष–

श्री अरविन्द पाण्डे जी आप सदन का त्याग करें।

("वेल" में खड़े माननीय सदस्य पूर्ववत् नारे लगाते रहे।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के बाँध प्रभावित क्षेत्र से विकास खण्ड प्रतापनगर के आंशिक डूब क्षेत्र के ग्रामों को जोड़ते हुए मुंगराली से कंसाली तक 10 कि0मी0 मोटर मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में याचिका

*श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के बाँध प्रभावित क्षेत्र से विकास खण्ड प्रतापनगर के आंशिक डूब क्षेत्र के ग्रामों को जोड़ते हुए मुंगराली से कंसाली तक 10 किलोमीटर मोटर मार्ग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री खेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल की ग्राम पंचायत कोटगा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल की ग्राम पंचायत कोटगा में उप स्वास्थ्य केन्द्र खुलवाये जाने के संबंध में श्री सैन सिंह पंवार एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में मोटणा में एलोपैथिक औषधालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के प्रतापनगर विधान सभा क्षेत्र में मोटणा में ऐलोपैथिक औषधालय खुलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री खेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र प्रतापनगर में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चैत सिंह बिष्ट एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

*वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद टिहरी गढ़वाल के बाँध झील के कारण पट्टी रैका के अति संवेदनशील ग्रामों का भू–वैज्ञानिक द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री फूल सिंह बिष्ट–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से जनपद टिहरी गढ़वाल के बांध झील के कारण पट्टी रैका के अति संवेदनशील ग्रामों को भू–वैज्ञानिकों द्वारा सर्वेक्षण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खेम सिंह रावत एवं अन्य निवासीगण, जनपद टिहरी गढ़वाल द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

(मद संख्या–32, मद संख्या–33 तथा मद संख्या–34 पर याचिकाकर्ता माननीय सदस्यों के नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्यों ने याचिका उपस्थित नहीं की।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत देवलथल तहसील के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में याचिका

श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से "जनपद पिथौरागढ़ के अन्तर्गत देवलथल तहसील के सृजन किये जाने के सम्बन्ध में" श्री कैहरी सिंह सामन्त एवं अन्य निवासीगण, जनपद पिथौरागढ़ द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

पचानवेवां संविधान संशोधन विधेयक, 2003

सचिव, विधान सभा–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से "संसद के दोनों सदनों द्वारा यथा पारित संविधान (पचानवेवां संशोधन) विधेयक, 2003 की प्रति उक्त संविधान संशोधन विधेयक पर लोक सभा तथा राज्य सभा में हुए वाद–विवाद की प्रति सहित सदन के पटल पर रखता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य मंत्रणा समिति द्वारा कार्यक्रम निर्धारण का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष–

कार्य मंत्रणा समिति ने अपनी दिनांक 17 दिसम्बर, 2003 की बैठक में दिनांक 18 दिसम्बर, 2003 के उपवेशन का कार्यक्रम निम्नलिखित रूप में रखे जाने की सिफारिश की है :–

दिसम्बर, 2003

18 गुरुवार

(1) वित्तीय वर्ष 2003–2004 के प्रथम अनुपूरक अनुदान की मांगों का प्रस्तुतीकरण (अपराह्न 3.00 बजे)।

(2) 31 मार्च, 2001 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए भारत के नियन्त्रक महालेखापरीक्षक (सिविल) (उत्तरांचल) के शुद्धिपत्र का प्रस्तुतीकरण।

(3) वित्तीय वर्ष 2001–2002 के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (उत्तरांचल सरकार) का प्रस्तुतीकरण।

(4) 9 नवम्बर, 2000 से 31 मार्च, 2001 तक के विनियोग लेखे एवं वित्त लेखे (उत्तरांचल सरकार) का प्रस्तुतीकरण।

(5) वित्तीय वर्ष 2000–2001 के विनियोग लेखे (उ0प्र0 सरकार) (1 अप्रैल, 2000 से 8 नवम्बर, 2000) का प्रस्तुतीकरण।

(6) "भारत का संविधान" के अनुच्छेद–323 के खण्ड (2) के अधीन उत्तरांचल लोक सेवा आयोग के सामान्य वार्षिक प्रतिवेदन का सदन के पटल पर रखा जाना।

(7) अध्यादेशों का सदन के पटल पर रखा जाना।

(8) (क) श्री नारायण पाल, सदस्य, विधान सभा द्वारा दिनांक 5 अप्रैल, 2003 को प्रस्तुत नियम–103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव पर चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि प्रदेश में थारू, बुक्सा, बंगाली व अन्य निर्बल निर्धन वर्गों के उत्थान हेतु नीति बनाकर उसे लागू किया जाए।"

(8) (ख) वर्तमान सत्र में श्री प्रकाश पन्त, सदस्य, विधान सभा द्वारा प्रस्तुत नियम–103 के अन्तर्गत निम्न प्रस्ताव के प्रस्तुतीकरण एवं चर्चा :–

"इस सदन का सुनिश्चित मत है कि उत्तरांचल राज्य के अन्तर्राष्ट्रीय सीमावर्ती ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिए पृथक कार्य योजना बनाना अत्यावश्यक है।"

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

मान्यवर, मैं प्रस्ताव करती हूँ कि कार्य मंत्रणा समिति की सिफारिश, जिसकी सूचना माननीय अध्यक्ष जी द्वारा सदन को दी गयी, उससे यह सदन सहमत है।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि माननीया संसदीय कार्यमंत्री जी ने जो प्रस्ताव रखा है, उससे यह सदन सहमत है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल ऊर्जा विकास निधि विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 द्वितीय संशोधन विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुनःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा ह्रदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल [उत्तर प्रदेश कृषि उत्पादन मण्डी समिति (अल्पकालिक व्यवस्था) अधिनियम, 1972] अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश,

2002 (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

पंचायती राज मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

मानवीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003

प्राविधिक शिक्षा एवं परिवहन मंत्री (श्री हीरा सिंह बिष्ट)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री हीरा सिंह बिष्ट–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल प्राविधिक शिक्षा परिषद् विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003

पंचायती राज्य मंत्री (श्री प्रीतम सिंह)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगता हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री प्रीतम सिंह–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल पंचायत (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करता हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल आकस्मिकता निधि अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर अधिनियम, 1979) (अनुकूलन एवम् उपान्तरण आदेश, 2002) (प्रथम संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश व्यापार कर अधिनियम, 1948) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2002) (तृतीय संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा माँगती हूँ।

श्री अध्यक्ष–

प्रश्न यह है कि उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्रीमती इन्दिरा हृदयेश–

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी आज्ञा से उत्तरांचल (उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950) (अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश, 2001) (संशोधन) विधेयक, 2003 को पुरःस्थापित करती हूँ।

(घोर व्यवधान के मध्य)

कार्य स्थगन प्रस्ताव की सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–56 के अन्तर्गत प्राप्त सभी सूचनाओं को मैं अग्राह्य करता हूँ।

अब हम उठते हैं अपरान्ह–3.00 (तीन) बजे तक के लिए।

(भोजनावकाश)

(सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष की अध्यक्षता में अपरान्ह 3.00 बजे पुनः आरम्भ हुई।)

(नेता प्रतिपक्ष को छोड़ भारतीय जनता पार्टी के सभी माननीय सदस्य एवं बहुजन समाज पार्टी के सभी माननीय सदस्य "वेल" में आकर नारे लगाने लगे– "भू–अध्यादेश वापस लो"।)

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री अध्यक्ष–

मेरा सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि कृपया आसन ग्रहण करें।

वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान.

संसदीय कार्य मंत्री (श्रीमती इन्दिरा हृदयेश)–

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से वित्तीय वर्ष 2003–2004 के लिए प्रथम अनुपूरक अनुदान प्रस्तुत करती हूँ। (मद संख्या–63 एवं मद संख्या–64 पर माननीय सदस्य श्री नारायण पाल एवं श्री प्रकाश पंत जी का नाम पुकारे जाने पर माननीय सदस्य खड़े नहीं हुए।)

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष–

आज नियम–51 के अन्तर्गत श्रीमती आशा नौटियाल, श्री काशी सिंह ऐरी व श्री विपिन चन्द्र त्रिपाठी, श्री नारायण पाल, श्री महेन्द्र भट्ट, श्री मदन कौशिक तथा श्रीमती विजय बड़थ्वाल जी की कुल 6 सूचनायें प्राप्त हुई हैं जिन्हें मैं अस्वीकार करता हूँ।

अब हम कल 11.00 बजे तक के लिए उठते हैं।

(इसके बाद 03 बजकर 04 मिनट पर सदन की कार्यवाही शुक्रवार दिनाँक 19 दिसम्बर, 2003 के दिन के 11 बजे तक के लिए स्थगित हुई।)

देहरादून : महेश चन्द्र,

दिनाँक : 18–12–2003 सचिव,

विधान सभा, उत्तरांचल।

पी0एस0यू0(आर0ई0) 07 वि0स0 / 424–13–12–2004–200 प्रतियाँ (कम्प्यूटर / रीजियो)।